संचयिता

अक्टूबर, 2024

Volume 01

अस्वीकरण

"संचयिता" एक मूल्यांकित प्रकाशन नहीं है। यहां दी गई लेखों में व्यक्त की गई राय लेखकों की है और यह प्राधिकरण की राय को आवश्यकतानुसार नहीं प्रतिबिंबित करती है। सामग्री को उपयुक्त अभिज्ञान के साथ पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति और/या संस्था इस प्रकाशन में व्यक्त विचार, राय, तथ्यों, आंकड़ों और खोजों पर निर्भर करता है, तो प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

आमुख

हिंदी भाषा का आधिकारिक प्रकाशनों और पत्रिकाओं में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत की राजभाषा होने के कारण, हिंदी का उपयोग विशेष रूप से सरकारी पत्राचार, वेबसाइटों, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के प्रकाशनों में व्यापक रूप से होता है ।

इसी क्रम में, मुझे आपके समक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका ''संचयिता'' का प्रथम संस्करण प्रस्तुत करते हुए अत्यंत गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है । यह पीएफआरडीए के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । पूर्ण रूप से हिंदी भाषा में प्रकाशित इस पत्रिका ''संचयिता'' का उद्देश्य, विशेष रूप से हिंदी भाषी पाठकों को पेंशन और सेवानिवृत्ति योजनाओं एवं उनसे सम्बंधित जानकारियों को अधिक सुलभ बनाना है, ताकि पेंशन क्षेत्र में साक्षरता एवं जागरूकता को गतिशीलता प्रदान की जा सके । परिणाम स्वरुप, इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर इसका लाभ ले सके और ''पेंशन युक्त समाज'' की दिशा में आगे बढ़ सके ।

यह संस्करण विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इसमें प्राधिकरण के प्रतिभाशाली अधिकारियों ने अपने गहन अनुभव और विशेषज्ञता से संबंधित विचार, स्वरचित लेखों के द्वारा प्रस्तुत किए हैं । इस संस्करण में, पेंशन की महत्ता, वृद्धावस्था आय सुरक्षा, श्रम बाजार, जनसांख्यिकी, वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है । मैं इस अवसर पर ''संचयिता'' एवं एनपीएस दिवस के लिए गठित समितियों के प्रयासों को प्रशस्ति प्रदान करना चाहता हूँ, जिनका नेतृत्व श्रीमती ममता शंकर, पूर्ण कालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) ने किया है । साथ ही, मैं प्राधिकरण के बाजार निगरानी और अनुसंधान विभाग, राजभाषा विभाग, संपादकीय समिति और लेखकों के प्रयासों की भी सराहना करता हूँ, जिनके अथक और गतिशील प्रयासों के कारण यह संस्करण सफलतापूर्वक प्रकाशित हो सका है ।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है, कि हिंदी भाषा का यह संस्करण सभी हितधारकों के लिए पेंशन और वित्तीय जागरूकता को बढ़ाने में सहायक होगा और भविष्य में ऐसे और भी सारगर्भित संस्करणों को प्रोत्साहन देगा ।

दीपक महान्ती

डॉ. दीपक महान्ती
अध्यक्ष

प्रस्तावना

यह मेरे लिए प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि प्राधिकरण ''संचयिता'' का पहला हिंदी संस्करण प्रस्तुत कर रहा है, जो पेंशन और सेवानिवृत्ति के महत्त्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। ''संचयिता'' का यह पहला अंक वित्तीय साक्षरता की दिशा में हमारे निरंतर प्रयासों में से एक अहम कदम है, जिसका उद्देश्य पाठकों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्रदान करना है, जो उन्हें वित्तीय स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाने में सहायक होगा।

हमारा उद्देश्य इस प्रकाशन के माध्यम से पेंशन और सेवानिवृत्ति की जटिल दुनिया को सुगम बनाना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने वित्तीय भविष्य के लिए विचारपूर्ण निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सके।

यह संस्करण विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि, इसमें हमारे संस्थान के अधिकारियों का योगदान शामिल हैं। इस संस्करण में, आप सेवानिवृत्ति से संबंधित महत्त्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत लेख पाएंगे जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के विश्लेषण से लेकर, वित्तीय निर्णय लेने में व्यवहारिक अर्थशास्त्र की भूमिका जैसे प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं। इन आलेखों में बचत और निवेश रणनीतियों, लैंगिक और जनसंख्या अध्ययन, वित्तीय साक्षरता के महत्व और AI/ML (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग) की परिवर्तनीय संभावनाओं पर भी चर्चा की गई है।

सर्वप्रथम मैं प्रो. (डॉ) मनोज आनंद, पूर्ण कालिक सदस्य (वित्त) के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने इस संस्करण को साकार करने में अपना विशेष सहयोग दिया है।

मैं सुमीत कौर कपूर, कार्यकारी निदेशक, लेखकों, बाजार निगरानी और अनुसंधान विभाग, राजभाषा विभाग, संपादकीय समिति और उन सभी लोगों को भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस संस्करण में अपना योगदान देकर इसे साकार किया। उनके समर्पित प्रयासों और विशेषज्ञता ने इस संपादन को शोध समुदाय और सामान्य जनता के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मैं आशा करती हूँ की ''संचयिता'' के प्रथम संस्करण में प्रकाशित आलेखों को पढ़कर, आपको सूचनात्मक और प्रेरणादायक जानकारी प्राप्त होगी।

श्रीमती ममता शंकर
पूर्णकालिक सदस्य-अर्थशास्त्र

क्रम–सूची

क्रमांक	शीर्षक	लेखक	
1	``बचतकर्ताओं के राष्ट्र से निवेशकों के राष्ट्र तक: एक परिवर्तन`` पर सत्र में मुख्य व्याख्यान	डॉ. दीपक महांती, अध्यक्ष	7
2	समृद्धशाली सेवानिवृत्ति नियोजन के कुछ महत्वपूर्ण कारक	आशीष कुमार, मुख्य महाप्रबंधक	10
3	वित्तीय साक्षरता – इसका महत्व और वित्तीय समावेशन में इसकी पूर्व–आवश्यकता	सचिन जोनेजा, महाप्रबंधक	12
4	भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी एक अंतर्दृष्टि	अल्पना वत्स, महाप्रबंधक	15
5	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट	राजेश मोहन, महाप्रबंधक	19
6	जनसांख्यिकीय लाभांश: भारत के लिए सुनहरा अवसर	मोहित यादव, उप महाप्रबंधक	21
7	अनुरूपता: सामाजिक दबाव की ताकत	प्रदीप्तो चटर्जी, सहायक महाप्रबंधक	24
8	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) और मशीन लर्निंग (एम.एल.): परिप्रेक्ष्य एवं उपयोगिता	विशाल चौरसिया, सहायक महाप्रबंधक	27
9	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस): न केवल एक आवश्यकता बल्कि एक सुनहरा अवसर भी!	भावना मल्होत्रा, सहायक महाप्रबंधक	32
10	व्यवस्थित एकमुश्त निकासी – निकासी के बाद भी एनपीएस से लाभ	मनमीत नागर, सहायक महाप्रबंधक	35
11	बढ़ती जीवन प्रत्याशा के दौर में पेंशन	प्रभात कुमार राय, सहायक प्रबंधक	38
12	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक ``अभिनव'' सुधार की यात्रा	प्रवेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक	42
13	आँकड़े		49

''बचतकर्ताओं के राष्ट्र से निवेशकों के राष्ट्र तकः एक परिवर्तन'' पर सत्र में मुख्य व्याख्यान [1]

डॉ. दीपक महांती, अध्यक्ष,

मैं, सीआईआई –(कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री/भारतीय उद्योग परिसंघ)– को, इस प्रतिष्ठित सभा में उपस्थित होने का अवसर प्रदान करेने के लिए धन्यवाद करता हूँ । इस व्याख्यान का विषय ''बचतकर्ताओं के राष्ट्र से निवेशकों के राष्ट्र तकः एक परिवर्तन'' हमारे देश के आर्थिक और वित्तीय आवरण को प्रतिबिंबित करता है । यह महत्वपूर्ण परिवर्तन, न केवल लोगों के वित्तीय व्यवहार में परिलक्षित बदलाव को दर्शाता है, बल्कि धन, आर्थिक विकास और वित्तीय कल्याण के प्रति हमारे बदलते दृष्टिकोण को भी दर्शाता है ।

पारंपरिक रूप से, घरेलू परिवार अपने भविष्य के अनिश्चित खर्चो को पूरा करने के लिए अपनी आय का एक भाग बचत के रूप में रखते हैं और एक दूसरा भाग सोना (स्वर्ण) और आवसीय घर जैसी भौतिक संपत्तियों में निवेश करते हैं, ताकि इसे अगली पीढ़ी के लिए उन्हें सौंपा जा सके । वर्ष 1970 के दशक में, अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्र से अलग होकर, नागरिकों ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों पर भरोसा किया, जो उनकी बचत जमा पर उचित प्रतिफल (रिटर्न) प्रदान करते थे । ये सामूहिक बचत तब आर्थिक गतिविधियों के लिए उत्पादक क्षेत्रों में लगाई जाती थी। शेयर बाजार, जिसे व्यापारियों के लिए सट्टा व्यापार (speculation) का केंद्र माना जाता था, न कि सामान्य व्यक्ति के लिए निवेश करने का एक महत्वपूर्ण मंच । हालाँकि, अब इस वित्तीय दृष्टिकोण में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है।

वर्ष 2000–16 के दौरान, घरेलू परिवारों की सकल वित्तीय संपत्तियों के घटक, इस बात की ओर इंगित करते हैं, कि औसतन 81 प्रतिशत वित्तीय संपत्तियाँ नकद और बैंक जमा के रूप में रखी जाती थीं, जबकि बांड और इक्विटी में निवेशित संपत्तियों का औसत मात्र 3 प्रतिशत था । हाल के वर्षों, 2017–22 में, नकद और बैंक जमा के रूप में रखी संपत्ति की भागेदारी घटकर 46 प्रतिशत हो गई है, और बांड और इक्विटी में निवेशित संपत्तियों की भागेदारी में 7 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्तीय बचत योजनायें, जिनमें बीमा, पेंशन और छोटी बचत योजनायें सम्मिलित हैं, उनमें लगातार वृद्धि देखी गयी है ।

जैसा कि हम अगले 25 वर्षो में उच्च आय वाले देश बनने की आकांक्षा रखते हैं, हमें औसतन लगभग 8.0 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ने की आवश्यकता होगी । इसके लिए समुचित निवेश स्तरों की आवश्यकता होगी । इस संदर्भ में, बचत का पूंजी निर्माण (capital formation) में कुशलतापूर्वक रूपांतरण, अत्यंत महत्वपूर्ण है । उदाहरण के लिए, यह मानते हुए कि वर्तमान में पूंजी उत्पादन अनुपात (capital output ratio) 4.5 है, तो 8 प्रतिशत की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए, हमें प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 36 प्रतिशत दर से निवेश करने की आवश्यकता है । इस निवेश करने के लक्ष्य की बड़े स्तर पर घरेलू बचत से पूर्ति होनी चाहिए । वास्तव में, हम विदेश से पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हम वर्षो से कर रहे हैं, परन्तु वह भी एक सीमा के अन्दर, क्योंकि इसका हमारे बाह्य संतुलन राशि (external balance) पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है ।

वर्ष 1990 के दशक के आरम्भ में, भारत की आर्थिक और वित्तीय उदारीकरण नीति ने, इसकी अर्थव्यवस्था को खोलने और भारत को एक निवेश–हितैषी गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कार्य किया । परिणामस्वरूप, हमने निजी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों, निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों, पूंजी बाजारों, एक्सचेंजों और पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंडों) का तीव्र गति से विकास देखा। वित्तीय प्रणाली ने तकनीकी आधुनिकीकरण, नामरहित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और निधि अंतरण, निवेशक संरक्षण के लिए सुशासन प्रथाओं और पारदर्शिता के लिए विनियामक रूपरेखा को मजबूत करने जैसे साधनों का परिवर्तन अनुभव किया ।

---

[1] *डॉ. दीपक महांती, अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण* (PFRDA) *द्वारा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (भारतीय उद्योग परिसंघ) सीआईआई – वित्तपोषण 3.0 शिखर सम्मेलन – विकसित भारत की तैयारी– 2–3 सितंबर, 2024 को मुंबई में आयोजन के अवसर पर मुख्य व्याख्यान, 3 सितंबर 2024 ।*

वित्तीय बाजारों की संस्थागत नींव को पूंजी बाजार, बीमा, प्रतिस्पर्धा, पेंशन, दिवाला और कंपनी अधिनियम 2013 के क्षेत्र से, सम्बंधित विनियामक संस्थानों की स्थापना के माध्यम से सुदृढ़ किया गया – जिससे निगमीय (कॉर्पोरेट) प्रशासन, पारदर्शिता और कंपनियों के लिए उत्तरदायीत्वता को मजबूत किया गया । इस प्रकार स्थापित एक विश्वसनीय विनियामक वातावरण में और निवेश के अवसरों के विस्तारीकरण के माध्यम से नागरिकों को, अपने जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार प्रतिफल (रिटर्न) अर्जित करने और विभिन्न साधनों और क्षेत्रों में अपने निवेश को विविधता प्रदान करने का अवसर प्रदान किया ।

इस सुरक्षित वातावरण ने विशेष रूप से, बीमा और पेंशन संस्थाओं से दीर्घकालिक ऋण साधनों की मांग को भी सुगम बनाया। वर्तमान में, सेवानिवृत्ति–बचत क्षेत्र का निवेश लगभग 50 लाख करोड़ रुपये है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 16 प्रतिशत से अधिक है। हमारे द्वारा विनियमित पेंशन क्षेत्र, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) से सम्बंधित है, इनका निवेश लगभग 13 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से अवसंरचना क्षेत्र में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये और इक्विटी में लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये का निवेश है । जैसे–जैसे हमारी आय का स्तर बढ़ेगा, यह क्षेत्र, ओईसीडी देशों की श्रेणी जैसे उन्नत देशों की तरह विकास की ओर अग्रसर होगा, जहाँ पेंशन आस्तियाँ उनके कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का औसतन 87 प्रतिशत है ।

सरकारों के वित्तीय समावेशन अभियान ने औपचारिक वित्त को सभी के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसा कि कम आय वाले और वंचित लोगों के कुल 2.3 लाख करोड़ रुपये जमा वाले 53.20 करोड़ जन धन बैंक खातों से परिलक्षित होता है। इसने वित्तीय साक्षरता में सुधार करने में भी मदद की है ।

तकनीक ने वित्तीय बाजारों में प्रवेश की बाधाओं को कम किया और सम्बंधित लागतों को कम किया है। पारंपरिक जमाओं पर बेहतर प्रतिफल (रिटर्न) अर्जित करने की आग्रह, स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि (स्मार्टफोन रखने वाले गृहवासियों का प्रतिशत वर्ष 2018 में 36 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 74 प्रतिशत हो गया), और फिनटेक के आने, जिसने वित्तीय जानकारी और निवेश के अवसरों तक आसान पहुंच प्रदान की, तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरणों ने निवेश को किफायती होने के साथ उसके अवसरों का दायरा बढाया है ।

डीमैट खाता धारकों (16.2 करोड़), म्यूचुअल फंड एसआईपी खातों (9.34 करोड़) में वृद्धि, कई ऑनलाइन इक्विटी ट्रेडिंग प्लेटफार्मो और इक्विटी प्लेटफॉर्म के उद्भव, इक्विटी कैश सेगमेंट टर्नओवर में खुदरा निवेशकों की भागीदारी वर्ष 2013–14 में 12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 36 प्रतिशत हो जाने से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि लोगों के द्वारा अपनी संपत्ति की वृद्धि के लिए, सुरक्षित या जोखिम रहित दृष्टिकोण को छोड़कर आगे बढ़कर जोखिम उठाना, के रूप में उनके वित्तीय व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है ।

नए साधनों की मांग से डिजिटल गोल्ड, वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ), रियल एस्टेट निवेश न्यास (आरईआईटी), अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट्स), ग्रीन बॉन्ड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, क्रिप्टोक्यूरेंसी, क्राउडफंडिंग/पीयर टू पीयर लेंडिंग आदि की शुरुआत हुई है। नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, उद्यम पूंजी (वेंचर कैपिटल) निवेश, निवेशकों को आकर्षित कर रहा है, जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जो इस आशा के साथ, कि स्टार्टअप 'यूनिकॉर्न' बनने पर निवेश को अत्यधिक वृद्धि प्रदान करेगा, संभावित रूप से अधिक प्रतिफल (रिटर्न) के लिए अधिक जोखिम लेने को तैयार हैं ।

अब तक हुई प्रगति और उस यात्रा में औसत परिवार की भागीदारी सराहनीय रही है, लेकिन हमारे वित्तीय क्षेत्र में और अधिक संभावनाओं को ढूढ़ने की आवश्यकता है ताकि हमारी परिकल्पित विकास के मार्ग के अनुरूप स्तर और जोखिम पूंजी प्रदान की जा सके । दूसरा, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों जैसे उत्पादक क्षेत्रों में वित्तीय अंतराल को पाटने के लिए अभिनव तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है । तीसरा, जैसे–जैसे वित्तीय कार्यो का संचालन डिजिटल के माध्यम से होता जा रहा है, वैसे–वैसे इससे जुड़े डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जोखिम भी बढ़ रहे हैं, जिनको समाप्त करने के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है । चौथा, सभी वर्गो की वित्तीय साक्षरता में

सुधार करने के लिए संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि, लोग वित्तीय जोखिमों को समझ सकें और अपनी जोखिम वहन करने की क्षमता के अनुरूप निर्णय ले सकें । पाँचवां, उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना विनियामक सँस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।

अंत में, बचतकर्ताओं से निवेशकों के रूप में चल रहा यह परिवर्तन हमारे आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव को चिह्नित करता है । यह हमारे वित्तीय प्रणाली और इसके विनियामक आधारों में बढ़ते विश्वास, वित्तीय साक्षरता के स्तर में सुधार और व्यापक निवेश के अवसरों को दर्शाता है। यह सभी प्रमुख हितधारकों का दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इसकी प्रगति विवेकपूर्ण तरीके से हो ताकि वास्तविक क्षेत्र की सर्वोत्तम सेवा करने के लिए विश्वास बना रहे। सूचित निवेश की संस्कृति का पोषण करके, हम एक मजबूत, अधिक लचीली अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं जो समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करती है।

धन्यवाद।

समृद्धशाली सेवानिवृत्ति नियोजन के कुछ महत्त्वपूर्ण कारक

आशीष कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

सेवानिवृत्ति का आशय इस बात से है कि किसी विशेष आयु पर, आप अपने व्यवसाय या रोजगार का हिस्सा नहीं रह पाएंगे और यह आयु, आपके व्यवसाय या रोजगार की प्रकृति पर निर्भर करेगी। एक एथलीट 25 वर्ष में, क्रिकेटर 35 वर्ष में और एक डॉक्टर, वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट 65 वर्ष में सेवानिवृत्त हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एक विशिष्ट आयु, जैसे 60 वर्ष पर निर्धारित हो सकती है पर अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों की सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक हो सकती है। खराब स्वास्थ्य या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण यह समय से पूर्व हो सकती है या अच्छा स्वास्थ्य होने पर इसे विस्तार भी दिया जा सकता है।

वित्तीय नियोजन के लिए आवश्यक है कि अपने कार्यशील जीवन में हम चार महत्त्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य करें – बच्चों की उच्च-शिक्षा, आवास की खरीद, बच्चों के विवाह तथा सेवानिवृत्ति नियोजन। इन सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मितव्ययिता के साथ गौरवपूर्ण जीवन यापन करना बहुत महत्त्वपूर्ण है ताकि आप अधिक से अधिक बचत या निवेश कर सकें। बच्चों की शिक्षा इन सभी लक्ष्यों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है ताकि बच्चे पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और सेवानिवृत्ति के पश्चात, आप पर उनकी कोई जिम्मेदारी; वित्तीय दृष्टिकोण से शेष न रहे । बच्चों से सम्बन्धित वित्तीय लक्ष्यों के लिए जीवन-बीमा, दुर्घटना-बीमा एवं स्वास्थ्य-बीमा लेना जरूरी है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी में भी बच्चों का अच्छा भविष्य सुनिश्चित किया जा सके । इसके अतिरिक्त, लक्ष्यों के मूल्यह्रास वाली संपत्तियों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुयें, मोबाइल हैंडसेट या कार इत्यादि पर अपने खर्चो को सीमित करना बेहद जरूरी है ताकि आप अपने व्यय पर नियंत्रण करते हुए मूल्यवृद्धि करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों में अधिक से अधिक निवेश कर सकें।

समृद्धशाली सेवानिवृत्ति नियोजन के लिए इस तथ्य को स्वीकार करना बेहद आवश्यक है कि एक दिन हम सभी को सेवानिवृत्त होना है और ऐसा होने पर, हमारे अपने कार्य या सेवा से होने वाली आय का बंद होना भी तय है, जबकि सेवानिवृत्ति के पश्चात होने वाले खर्चो में कमी सीमित ही होगी । सेवानिवृत्ति के पश्चात होने वाले खर्चो के प्रबन्धन के लिए, सेवानिवृत्ति नियोजन करना बेहद आवश्यक है ।

सेवानिवृत्ति के लिए आवश्यक राशि का अनुमान हम अपनी और अपने जीवनसाथी की जीवन प्रत्याशा, किये गए निवेश पर प्राप्त होने वाले प्रतिफल की दर, महंगाई-दर, सेवानिवृत्ति पश्चात की अवधि में होने वाले प्रत्याशित व्यय, अप्रत्याशित व्यय तथा आवधिक व्यय को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं । इन सभी प्रकार के खर्चो के लिए पर्याप्त कोष की गणना करना, उसकी व्यवस्था करना, सेवानिवृत्ति नियोजन का महत्त्वपूर्ण कदम है । सेवानिवृत्ति नियोजन के लिए दो बातें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं, कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना और जल्द से जल्द निवेश प्रारम्भ करना ताकि कंपाउंडिंग की शक्ति का पूरा लाभ लिया जा सके ।

पर्याप्त कोष की गणना करते समय यह जानना आवश्यक है कि नियोजन प्रारंभ करने की तिथि में आपके पास कितना निवेश है, किस आयु में आप सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, सेवानिवृत्ति के पश्चात आप किस प्रकार की जीवन-शैली का अनुसरण करना चाहते हैं- सामान्य या विलासिता पूर्ण; आप कहाँ रहना चाहते हैं, अपने घर में या किराये के घर में, महानगर में या किसी मध्यम श्रेणी के नगर में

स्वास्थ्य बीमा अपने या अपने जीवनसाथी के लिए उपलब्ध है या नहीं; जीवनसाथी के अतिरिक्त क्या किसी और की भी जिम्मेदारी है या नहीं, जीवनोपरांत कुछ धन अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं या नहीं ।

सेवानिवृत्ति हेतु आवश्यक राशि की गणना के पश्चात यह जानना आवश्यक है कि कितना निवेश प्रति माह करना आवश्यक होगा, निवेश किन प्रकार की आस्तियों में करना आवश्यक होगा ताकि आवश्यक राशि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके । निवेश की अवधि में, समय पर निवेश और उस पर प्राप्त होने वाले प्रतिफल की समीक्षा भी बहुत जरूरी है ताकि प्रतिमाह निवेश की राशि में और आस्तियों के आवंटन में आवश्यक बदलाव किये जा सकें ।

सिर्फ प्रति माह होने वाली आय की समीक्षा के बजाय अपने नेट-वर्थ की, अपने आय-व्यय की तथा पेंशन के अतिरिक्त अन्य वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति की भी समीक्षा की जाये । इस प्रकार की समीक्षा के लिए जरूरी है कि वित्तीय निवेश सम्बन्धी जानकारी न केवल जुटाई जाये बल्कि प्राप्त जानकारी का समुचित उपयोग किया जाये । वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, पोर्टफोलियो प्रबंधन, कर प्रबंधन, व्यवहारिक मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना जरूरी है । इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि संचित पेंशन राशि में से अनावश्यक निकासी न की जाये, ताकि आवश्यक राशि का लक्ष्य, सहजता से प्राप्त किया जा सके ।

सभी प्रकार के वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के बीमा उत्पाद, म्यूच्यूअल फण्ड योजनाओं, सरकारी योजनाओं जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत-पत्र, पीपीएफ, एनपीएस, एवं वंचित वर्ग के लिए उपलब्ध योजनाओं जैसे कि जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन-ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी होना, तथा उनमें मासिक/वार्षिक आधार पर निवेश करना बेहद जरूरी है।

उपरोक्त विकल्पों में निवेश करके व्यक्ति अपना सेवानिवृत्ति जीवन सुरक्षित और आरामदायक तरीके से व्यतीत कर सकता है।

वित्तीय साक्षरता – इसका महत्त्व और वित्तीय समावेशन में इसकी पूर्व-आवश्यकता

सचिन जोनेजा, महाप्रबंधक

यह देखा गया है कि, आज के युग में वित्तीय बाजारों और उत्पादों पर अत्यधिक जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद, वित्तीय साक्षरता और विशेष रूप से पेंशन क्षेत्र के बारे में ज्ञान की कमी है। शहरी क्षेत्रों में भी, नियोजित लोग कई बार वित्तीय मामलों से संबंधित आवश्यक निर्णय लेने में और अपनी बचत का निवेश करने को लेकर जूझते हुए देखे गये हैं। वित्तीय साक्षरता की अनुपस्थिति ऐसी परिस्थितियों की ओर ले जाती है, जहां लोग सेवानिवृत्ति की योजना नहीं बनाते हैं, अपने निवेश सूची में बदलाव नहीं लाते हैं, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों आदि के अनुसार निवेश नहीं करते हैं। देश में मध्यम आय-वर्ग की निरंतर वृद्धि के साथ, यह बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है कि लोगों को ऐसे अपेक्षित ज्ञान के साथ सशक्त बनाया जाए, जो उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता हो।

सरकार देश में वित्तीय समावेशन की ओर लगातार प्रयास कर रही है और वित्तीय साक्षरता उन सबसे महत्त्वपूर्ण उपकरणों में से एक है, जो वित्तीय समावेशन का समर्थन करते हैं। यह सरल तथ्य है कि, जब अधिकांश लोग वित्तीय साक्षरता की अवधारणाओं को समझने लगते हैं, तो वे वित्तीय उत्पादों के संबंध में आवश्यक निर्णय लेते हैं और वित्तीय व्यापित के दायरे में आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इस परिघटना को समावेशी विकास के तहत गिना जाएगा। वित्तीय साक्षरता अंततः व्यक्तियों को बेहतर वित्तीय कल्याण की ओर ले जाती है, क्योंकि वे वित्तीय अवधारणाओं से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं। वित्तीय साक्षरता किसी व्यक्ति को बचत और निवेश के मामले में सही विकल्प चुनने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास भी देती है। वित्तीय साक्षरता और वित्तीय शिक्षा, वित्तीय बाजारों में उपलब्ध उत्पादों की मांग को व्यस्थित करने में मदद भी करती है, जबकि वित्तीय समावेशन में आपूर्ति पक्ष का हस्तक्षेप होता है।

पिछले 10 वर्षो में, सरकार ने समाज के बहिष्कृत वर्गो को वित्तीय सेवाओं के तहत लाने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में व्यापक रूप से शामिल हैं – प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाई), प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएम-एसआईएमएम) और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)। इन योजनाओं ने भारत में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने में बहुत मदद की है। साथ ही, यह देश में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने पर सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के निरंतर और नियमित ध्यान के कारण ही संभव हो पाया है। बैंकिंग और बीमा सुविधाओं में कमी के बावजूद, अब तक एक बड़ी जनसँख्या को वित्तीय साक्षरता के दायरे में लाया ला चुका है। स्वीकृत तथ्य है, कि भारत की एक बड़ी जनसँख्या बैंक-रहित श्रेणी से बैंक -सहित श्रेणी में शामिल हो गई है, किन्तु फिर भी वर्ष 2021 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 230 मिलियन आबादी बैंक-रहित है।[1]

वित्तीय क्षेत्र के विनियामक देश में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने की दिशा में भी प्रतिबद्ध हैं, जिससे अंततः समाज के वंचित वर्गो का सशक्तिकरण होगा। वस्तुतः, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे देश की विशाल जनसंख्या के कारण वित्तीय साक्षरता अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश है, जो इसकी अर्थव्यवस्था के तेज विकास में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक

[1] ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021

व्यवहार्य वातावरण बनाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वित्तीय शिक्षा और साक्षरता इन वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बुनियादी आधार तैयार करने में सहायता करती है।

वित्तीय साक्षरता के माध्यम से प्रसारित की गई जानकारी की समझ, लोगों के बीच बचत व्यवहार को विकसित करने, वित्तीय साधनों में निवेश शुरू करने, ऋण संबंधी अनुशासन विकसित करने और बीमा और पेंशन उत्पादों का लाभ उठाने में मदद करती है।

देश में बड़े पैमाने पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने का इरादा होने के बावजूद, वास्तविक चुनौतियां इसके कार्यान्वयन में निहित हैं। वित्तीय साक्षरता के अभाव की प्रमुख चुनौतियों या प्राथमिक कारणों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है :

- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – ऐसे लोग आमतौर पर औपचारिक रोजगार के दायरे में नहीं आते हैं। इसलिए, इस विशेष स्तर पर वित्तीय साक्षरता बहुत मुश्किल हो जाती है।

- युवा पीढ़ी – पीढ़ी जेड और पीढ़ी अल्फा का बचत और निवेश की संस्कृति की ओर कम झुकाव है। इसलिए, वे वित्तीय अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं।

- महिलाएं – तथ्य बताते हैं, कि इन दिनों बड़ी संख्या में महिलाएं भी कार्यबल में शामिल हैं, लेकिन प्रतिशत के मामले में वे अभी भी बहुत कम हैं। अतः, महिलाओं का एक उच्च प्रतिशत अभी भी वित्त के लिए अपने पति/जीवनसाथी पर निर्भर है। ऐसी निर्भरता के कारण उनकी वित्तीय मामलों के बारे में कम जागरूकता रहती है।

- लक्षित दर्शक – भले ही, विनियामक विकास प्राधिकरण काफी प्रयास कर रहे हैं और अधिकतम लोगों तक पहुंचने के लिए नई तकनीकों को अपना रहे हैं, लेकिन जिन दर्शकों को संदेश प्रसारित हो रहा है, वे लगभग समान हैं। अभी तक अंतिम छोर पर स्थित वंचित वर्गों से जुड़ाव नहीं हो पाया है।

आर्थिक रूप से साक्षर लोगों के आधार को व्यापक बनाने का कार्य वित्तीय शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। इस उद्देश्य के साथ, वर्ष 2013 में देश में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई) की अवधारणा पेश की गई थी, तब पहली बार पांच साल की अवधि के लिए ऐसी रणनीति तैयार की गई थी। बाद में उसी आधार पर, अगला ऐसा रणनीति दस्तावेज वर्ष 2020–25 की अवधि के लिए तैयार किया गया था।

वित्तीय साक्षरता ही वह अंतिम लक्ष्य है, जिसके लिए वित्तीय शिक्षा की राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई) 2020–25 तैयार और डिजाइन की गई। वित्तीय शिक्षा, लोगों को वित्तीय उत्पादों और उपकरणों से अवगत कराने तथा सूचित विकल्प के चयन में सहायता करती है। हालांकि, वित्तीय साक्षरता का उद्देश्य केवल लोगों के लिए मौद्रिक

लाभ को दर्शाना नहीं है, बल्कि वित्तीय मामलों की व्यापक समझ विकसित करना है। वित्तीय साक्षरता से किसी ग्राहक को सम्यक सूचना प्राप्त होती है जिससे उसे वांछित विकल्प का चयन करने में मदद मिलती है। इसके बदले में, वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन का मार्ग भी प्रशस्त करती है, जो किसी भी कल्याणकारी सरकार का अंतिम लक्ष्य होता है।

चुनौतियों से कैसे उबरें :

- वित्तीय रूप से साक्षर देश बनाने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी विनियामकों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण का होना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। एनएसएफई ने विनियामकों को वह दिशा प्रदान की है, ताकि वे वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में सामान्य लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें।

- वित्तीय शिक्षा में वित्तीय उत्पादों और उपकरणों के साथ-साथ क्षेत्र विशिष्ट शिक्षा के बारे में बुनियादी शिक्षा देना भी शामिल है। लक्षित दर्शकों को वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न वर्गों से जुड़े अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी निर्देशित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से साक्षर बनाने की

दृष्टि से शिकायत समाधान के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण का होना भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसके अलावा, प्रक्रिया आधारित प्रणालियों पर सूचना का प्रसार भी लक्ष्य समूह के ऊपर स्थायी प्रभाव डालता है।

- वित्तीय शिक्षा पर आधारित समन्वित कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर सफल बनाने के लिए, यह अनिवार्य है कि समाज के उपर्युक्त वर्गों (जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है) को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा, यह समझना भी महत्त्वपूर्ण है कि स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), गैर सरकारी संगठन आदि जैसी एजेंसियां जो समाज के अंतिम छोर तक संयोजकता में मदद कर सकती हैं, उन्हें सरकार और विनियामकों के साथ मिलकर काम करना होगा।

- वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपकरण वित्तीय शिक्षा और साक्षरता पर आधारित कार्यक्रमों के समय पर ध्यान केंद्रित करना है। यदि इस तरह के कार्यक्रम किसी कर्मचारी के सेवा में शामिल होने के समय आयोजित किए जाते हैं या उन्हें प्रेरण या अभिविन्यास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल किया जा सकता है तो ऐसी दशा में वे स्थायी प्रभाव डालेंगे।

- एमएसएमई क्षेत्र के नियोक्ताओं को भी अपने कर्मचारियों के लिए वित्तीय साक्षरता पर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिसका उन कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

- वित्तीय साक्षरता पर आधारित कार्यक्रमों में दृढ़ता भी एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है, जिसे इन मामलों पर जानकारी की पैठ को बढ़ाने के लिए शामिल किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति कई बार और नियमित अंतराल पर कोई महत्त्वपूर्ण संदेश सुनता है, तो निश्चित ही उसका प्रभाव पड़ता है।

- एक अन्य महत्त्वपूर्ण कदम बचत और निवेश के संबंध में किसी व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने के लिए फिनटेक और वित्तीय उपकरणों का सर्वोत्तम उपयोग करना हो सकता है। उदाहरण के लिए, सेवा में शामिल होने के समय किसी व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिससे पेंशन उत्पाद अधिक आकर्षक हो जाएगा। नामांकन के समय व्यापक और विस्तृत विकल्पों की उपलब्धता आम तौर पर व्यक्ति को डराती है। बाद के चरण में भी विकल्प प्रदान किए जा सकते हैं, जब वह उन्हें सहज महसूस करता हो।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि वित्तीय साक्षरता के महत्त्व को मान्यता दी गई है और सभी हितधारकों के लगातार प्रयासों के साथ, इसमें निश्चित रूप से वांछनीय परिवर्तन किए जाएंगे।

भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारीः एक अंतर्दृष्टि

अल्पना वत्स, महाप्रबंधक

परिचय

नीति आयोग के विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण का लक्ष्य महिला श्रम बल भागीदारी दर को वर्तमान 37 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करना है।

घर के भीतर और समाज में बड़े पैमाने पर महिला सशक्तिकरण से जुड़े होने के कारण भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए श्रम बल की भागीदारी महत्त्वपूर्ण है। श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी भारत के सभी क्षेत्रों और राज्यों में काफी भिन्न है। विश्व स्तर पर महिला श्रम बल की भागीदारी आर्थिक विकास, सामाजिक मानदंडों, शिक्षा स्तर, प्रजनन दर और बाल देखभाल और अन्य सहायक सेवाओं तक पहुंच में अंतर को दर्शाती है।

प्रमुख विकासशील देशों में श्रम बल भागीदारी दर

पिछले कुछ वर्षो में श्रम बल में विकासशील देशों में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई है:

महिलाओं के लिए एलएफपीआर (%)

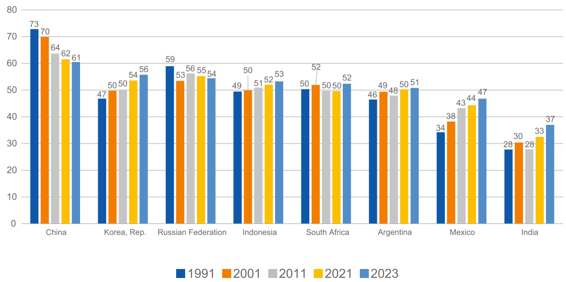

स्रोत : विश्व बैंक

भारत में श्रम बल की भागीदारी – रुझान

भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित पीएलएफएस (श्रम बल सर्वेक्षण) का डेटा पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर में सुधार को दर्शाता है। हालाँकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भागीदारी दर में काफी भिन्नताएँ हैं। ग्रामीण भारत में महिलाओं का एलएफपीआर 2017-18 में 24.6 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 41.50 प्रतिशत हो गया है। जबकि शहरी भारत में एलएफपीआर 2017-18 में 20.4 प्रतिशत से बढ़कर 25.4 प्रतिशत हो गया है।

महिलाओं के लिए एलएफपीआर (%)

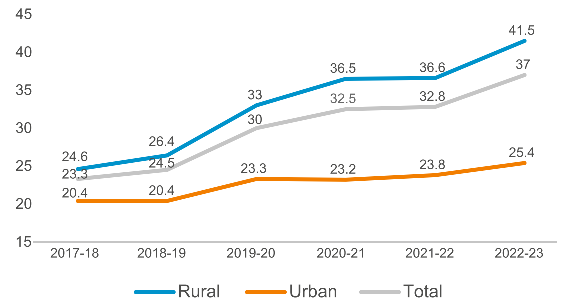

स्रोत : पीएलएफएस 2022-23

राज्यवार आंकड़ों से पता चलता है कि असम, दिल्ली, गोवा, मणिपुर और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों में, ग्रामीण क्षेत्र के लिए एलएफपीआर शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक है।

महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी और आर्थिक विकास

गोल्डिन ने अपने शोधकार्य में सिद्ध किया है कि, आर्थिक विकास और महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी (1990, 1995) के बीच यू-आकार का संबंध है। आर्थिक विकास के शुरुआती चरणों में, जब महिलाएं आम तौर पर खेतों में या पारिवारिक व्यवसायों में मजदूर (कभी-कभी अवैतनिक) के रूप में दृढ़ता से शामिल होती हैं, या फिर वेतन के लिए काम करती हैं या बाजार के लिए घर के भीतर उत्पादन करती हैं, तो महिलाओं की श्रम भागीदारी दर अधिक होती है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, उत्पादन का स्थान घरों और पारिवारिक व्यवसायों से कारखानों और

कार्यालयों में स्थानांतरित हो जाता है, उनकी श्रम शक्ति भागीदारी कम हो जाती है। गोल्डिन के अनुसार, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में पत्नियों के मजदूरी करने से जुड़ी संकोच इस बिंदु पर महिलाओं की भागीदारी को कम करती है। हालाँकि, महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि के साथ विवाहित महिलाओं के काम करने से जुड़े अवरोधों में कमी आती है और रोजगार की संभावनाएँ बढ़ने के साथ ही महिला श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ जाती है।

महिला श्रम, आपूर्ति विकास का चालक और परिणाम दोनों है। जैसे-जैसे अधिक महिलाएं श्रम बल में प्रवेश करती हैं, उच्च श्रम इनपुट के जवाब में अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ सकती हैं। साथ ही, जैसे-जैसे देश विकसित होते जाते हैं, महिलाओं की क्षमताओं में आमतौर पर सुधार होता है, और सामाजिक बाधाएं कमजोर होती जाती हैं, जिससे महिलाएं घर से बाहर काम करने में सक्षम हो जाती हैं। इस कारण से, नीति निर्माताओं को महिलाओं की श्रम आपूर्ति की प्रकृति को समझने और महिलाओं की श्रम बल भागीदारी की निगरानी करने की आवश्यकता है। अंततः, श्रम बल की भागीदारी न केवल आपूर्ति पक्ष के कारकों का परिणाम है, बल्कि श्रम की मांग का भी परिणाम है।

भारत में महिलाओं की एलएफपीआर और राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के बीच संबंधों को समझने के लिए, राज्य की प्रति व्यक्ति एसजीडीपी के मुकाबले विभिन्न राज्यों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर को दर्शाने वाला एक ग्राफ निम्नलिखित है-

प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में महिलाओं का एलएफपीआर

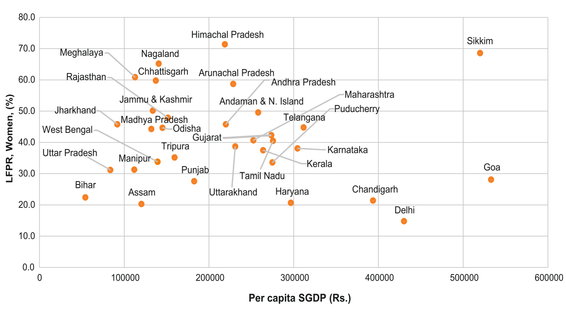

स्रोत : पीएलएफएस 2022-23, आर्थिक सर्वेक्षण'

यह ध्यान देने योग्य है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद वाले कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर सबसे कम है, वहीं उच्च प्रति व्यक्ति एसजीडीपी वाले राज्यों में महिलाओं के लिए कम एलएफपीआर है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी स्तर में कमी के कुछ कारण ये भी हो सकते हैं, जैस-युवा महिलाओं के बढ़ते शैक्षिक नामांकन, रोजगार के अवसरों की कमी, श्रम भागीदारी पर घरेलू आय का प्रभाव इत्यादि।

भारत में पिछले वर्षो में ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ '' जैसी विशेष योजनाओं के कारण लड़कियों को शिक्षा दर बढ़ाने में सफलता मिली है। अधिक से अधिक लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में दाखिला ले रही हैं। फिर भी, देश की आर्थिक प्रगति ने अभी तक उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा नहीं किये हैं जिनमें महिलाओं को आसानी से रोजगार मिल सके। नौकरी की वृद्धि में गिरावट के बावजूद, घरेलू आय में वृद्धि हुई है, और इसके कारण महिलाओं की प्राथमिकताओं में बदलाव के साथ साथ उनकी श्रम बल भागीदारी में कमी आई है, विशेष रूप से माध्यमिक गतिविधियों में (एक घटना जिसे ''आय प्रभाव'' के रूप में जाना जाता है)।

इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश भारतीय महिलाएँ रोजगार में हैं और अर्थव्यवस्था में किसी न किसी प्रकार का आर्थिक योगदान देती हैं, फिर भी उनके श्रम को आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं किया जाता है या आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता है, जिसके कारण महिलाओं के काम को कम रिपोर्ट किया जाता है।

उभरते सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारकों और कामकाजी दुनिया में महिलाओं की भागीदारी के बीच संबंध बहुआयामी है। विशेष रूप से, एक ओर कम आय वाले देशों में कामकाज के अवसर अभी भी सिमित हैं, तो दूसरी ओर, आधुनिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में महिलाओं के लिए उच्च शैक्षिक उपलब्धि और काम करने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

शिक्षा स्तर और महिलाओं की श्रम बल भागीदारी

नीचे दिए गए ग्राफ में भारत के प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) का श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) (प्रतिशत में) एवं उच्चतम शिक्षा स्तर दर्शाया गया है।

यह देखा जा सकता है कि अधिकांश राज्यों में प्राथमिक विद्यालय तक शिक्षित महिलाओं के लिए महिला एलएफपीआर उच्च है किन्तु

फिर उच्चतर माध्यमिक शिक्षित महिलाओं के लिए एलएफपीआर दर में गिरावट आ जाती है एवं अंततः शैक्षिक स्तर के साथ एलएफपीआर फिर से बढ़ जाती है। शैक्षिक उपलब्धि, सभी राज्यों में महिलाओं के लिए बेहतर रोजगार परिणामों का एक प्रमुख चालक है।

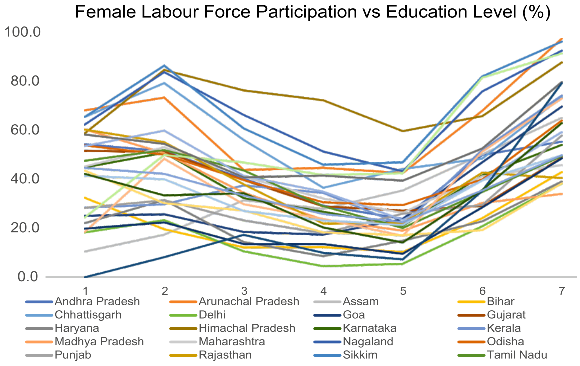

स्रोत : पीएलएफएस 2022-23

महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी और रोजगार की प्रकृति

श्रम बल भागीदारी का विश्लेषण करने के अलावा, महिलाओं के रोजगार की प्रकृति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर, जब महिलाएं काम करती हैं, तो उन्हें कम वेतन मिलता है और उन्हें कम उत्पादकता वाली नौकरियों में नियोजित किया जाता है। नीचे दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 65.3 प्रतिशत महिलाएँ स्व-रोजगार के रूप में काम कर रही हैं जिनमे से 37.5 प्रतिशत घरेलू उद्यम में सहायक के रूप में काम कर रही हैं।

प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए रोजगार में व्यापक स्थिति के आधार पर श्रमिकों का प्रतिशत वितरण

	स्वनियोजित			नियमित वेतन/ मजदूरी	अनौपचारिक श्रम
	स्वयं का खाता कार्यकर्ता, नियोक्ता	घरेलू उद्यम में सहायक	सभी स्व-रोजगार		
2022-23	27.8	37.5	65.3	15.9	18.8
2021-22	25.4	36.7	62.1	16.5	21.4
2020-21	22.8	36.6	59.4	17.4	23.2

प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए रोजगार में व्यापक स्थिति के आधार पर महिलाओं का वितरण (%)

स्रोत : पीएलएफएस (2020-21), पीएलएफएस (2021-22) तथा पीएलएफएस (2022- 23)

इसके अलावा, पीएलएफएस के आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की एलएफपीआर में वृद्धि हुई है। इसका कारण बेहतर आजीविका की तलाश में पुरुषों का ग्रामीण इलाकों से दूर जाना हो सकता है और फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में महिलाएं उनकी जगह ले रही हैं।

व्यापक उद्योग प्रभाग द्वारा श्रमिकों का प्रतिशत वितरण

	2022-23	2021-22	2020-21
कृषि	64.3	62.9	62.2
खनन एवं उत्खनन	0.1	0.1	0.1
उत्पादन	11.1	11.2	10.6
बिजली, पानी, आदि	0.2	0.2	0.2
निर्माण	4.0	5.0	5.6
व्यापार, होटल और रेस्तरां	6.2	5.9	6.1
परिवहन, भंडारण एवं संचार	1.2	1.2	1.0
अन्य सेवाएँ	13.0	13.6	14.4

स्रोत : पीएलएफएस (2020-21), पीएलएफएस (2021-22) तथा पीएलएफएस (2022- 23)

श्रम बल भागीदारी और सामाजिक सुरक्षा

पीएलएफएस डेटा से पता चलता है कि 56.5 प्रतिशत नियमित वेतन/वेतनभोगी महिला कर्मचारियों को बीमा, भुगतान अवकाश, बीमारी में छुट्टी, औपचारिक अनुबंध और अन्य लाभों सहित कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते हैं। 55.8 प्रतिशत महिला श्रम बल के पास लिखित रूप में नौकरी अनुबंध नहीं है और 43.5 प्रतिशत सवैतनिक अवकाश के लिए पात्र नहीं हैं।

भारत में महिलाओं को सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने में सामाजिक सुरक्षा योजनायें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उद्देश्य उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और पर्याप्त जीवन स्तर सुनिश्चित करना है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कम कवरेज आर्थिक रूम से कमजोर लोगों को असंगत रूप से नुकसान पहुँचाता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए, तथा बीमारी और देखभाल की कमी से होने वाले अभाव से बचने के लिए और उत्कृष्ट स्वास्थ्य परिणामों को प्रोत्साहित करने के लिए, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा के डिजाइन, कार्यान्वयन और वित्तपोषण की मुख्य जिम्मेदारी लेने की दिशा में भारत में उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सवैतनिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा की पात्रता के साथ-साथ लिखित रूप में नौकरी अनुबंध से अधिक महिला श्रम बल आपूर्ति, उत्पादकता और राष्ट्रीय आय में योगदान को बढ़ाया जा सकता है।

गैर-कृषि क्षेत्र में नियमित वेतन/वेतनभोगी महिला कर्मचारियों का प्रतिशत, जिनके पास लिखित रूप में नौकरी अनुबंध नहीं है, सवैतनिक अवकाश के लिए पात्र नहीं हैं और निर्दिष्ट सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए भी पात्र नहीं हैं।

नियमित की श्रेणी वेतनभोगी/वेतनभोगी कर्मचारी	जिन कर्मचारियों के पास लिखित रूप में नौकरी अनुबंध नहीं है			वे संविदा कर्मचारी, जो सवैतनिक अवकाश के पात्र नहीं हैं			वे कर्मचारी, जो किसी भी निर्दिष्ट सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए पात्र नहीं हैं		
	2022-23	2021-22	2020-21	2022-23	2021-22	2020-21	2022-23	2021-22	2020-21
ग्रामीण	53.0	56.7	58.1	41.9	43.3	41.8	60.9	61.7	59.3
शहरी	57.6	60.6	63.6	44.6	45.4	44.9	53.6	52.1	53.5
कुल	55.8	59.1	61.5	43.5	44.6	43.7	56.5	55.7	55.8

स्रोत : पीएलएफएस (2020-21), पीएलएफएस (2021-22) तथा पीएलएफएस (2022- 23)

निष्कर्ष

उत्कृष्ट कार्यो में नियोजन और श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, समावेशी और सतत विकास के महत्त्वपूर्ण घटक हैं। महिलाओं को अच्छे कामकाज और नौकरी की तलाश तथा श्रम बाजार में प्रवेश करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें रोजगार ढूंढने, अपने काम के क्षेत्र के बारे में चुनाव करने, कार्यस्थल पर नेविगेट करने, नौकरी की सुरक्षा, वेतन समानता, भेदभाव और काम की मांगों और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, जहां उनके शोषण का जोखिम आमतौर पर सबसे अधिक होता है और उन्हें सबसे कम औपचारिक सुरक्षा प्राप्त होती है। भारत की महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा को डिजाइन करके, उसका कार्यान्वयन करके और उनके वित्तपोषण हेतु जिम्मेदारी लेने की उच्च-स्तरीय प्रतिबद्धता को निभाकर विकसित भारत@2047 के लिए श्रम बल भागीदारी लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।

संदर्भ

1) *https%//worldtradescanner-com/Vision%20fro% 20Viksit% 20Bharat%20@2047%20An%20Approach%20Paper.pdf*
2) *पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट, विभिन्न वर्ष*
3) *आवर वर्ल्ड इन डाटा : वीमेन 'स एम्प्लयमेंट*
4) *भारत में महिला श्रम उपयोग, 2023, श्रम और रोजगार मंत्रालय रोजगार महानिदेशालय*
5) *क्लेडविन फर्नांडीज, फेलो, आईसीआरईएआर, हविषाये पुरी, अनुसंधान सहायक, आईसीआरईएआर, ''भारत भारतीय महिला श्रम बल का एक सांख्यिकीय चित्र'', एडीबी संस्थान नीति संक्षिप्त*
6) *क्लोडिया गोल्डिन, 1990 ''अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप: एन इकॉनोमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन,'' NBER बुक*
7) *गोल्डिन सी ''द U शेप्ड फीमेल लेबर फोर्स कनक्शन इन इक्नॉमिक डेवलपमेंट एण्ड इकनॉमिक हिस्टरी*

रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट

राजेश मोहन, महाप्रबंधक

ऐतिहासिक रूप से, वित्तीय बाजार दो वर्गों के आधार पर विकसित हुए हैं, अर्थात इक्विटी और ऋण। नकद बाजार और मुद्रा बाजार भी उचित रूप से वित्तीय बाजार में अपनी जगह बनाते हैं। भौतिक वस्तुएं (कमोडिटी) लंबे समय तक भौतिक लेनदेन की संपत्तियां मानी जाती थीं, किन्तु कमोडिटी एक्सचेंजों के स्थापित होने के बाद इन वस्तुओं के लेन-देन अब वित्तीय बाजारों में आसानी से हो जाते हैं। परन्तु अचल संपत्तियों में लेन-देन अभी भी कुछ सीमा तक जटिल माना जाता है, क्योंकि संपत्ति में भौतिक बाजार को अभी भी कई लोगों द्वारा अपरिवर्तनीय माना जाता है। इसी दुविधा को रीट्स (REITs) दूर करते हैं एवं वित्तीय बाजारों में अचल संपत्ति के प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

भारत में रियल एस्टेट वित्तपोषण पारंपरिक रूप से प्रत्यक्ष निवेश द्वारा किया गया है, अर्थात संपत्तियों में अपने वित्त के माध्यम से केवल पिछले 15-20 वर्षों में ऋण (गृह ऋण, विस्तार ऋण, संपत्ति पर ऋण आदि) के माध्यम से वित्तपोषित संपत्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

रीट्स और इनविट्स भारतीय बाजारों में नए उत्पाद हैं और उनकी अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। भविष्य में उनकी लोकप्रियता और अपरिहार्यता स्पष्ट है । यदि हम वैश्विक परिदृश्य को देखते हैं तो वहां रीट्स की अवधारणा अत्यधिक लोकप्रिय है और अभी भी गति पकड़ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा रीट्स बाजार है, लेकिन रीट्स जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों में भी निवेश का एक लोकप्रिय रूप हैं। अकेले अमेरिका में, सकल अचल संपत्ति में $ 1.4 ट्रिलियन से अधिक का निवेश है और लगभग 168 मिलियन अमेरिकी, या लगभग 50% अमेरिकी घरों में रीट्स स्टॉक में निवेश किए जाते हैं।

रीट्स (REITs) क्या हैं?

रीट्स कई निवेशकों के पैसे के पूल हैं, जो रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के विविध पोर्टफोलियो को खरीदते या वित्तपोषित करते हैं। रीट्स के अंतर्गत निवेश का 80% उन संपत्तियों में किया जाता है जो राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम हैं और कुल निवेश का

केवल 10% अचल संपत्ति (निर्माणाधीन संपत्तियों) में किया जाता है। रीट्स में पेशेवर टीमें होती हैं, जो इन परिसंपत्तियों के प्रबंधन में मदद करती हैं। इस प्रकार, रीट्स एक इकाई है जो आय-उत्पादक अचल संपत्ति का स्वामित्व, संचालन या वित्त पोषण करती है। उन्हें म्यूचुअल फंड की संरचना पर आधारित निवेश वाहनों (Investment vehicles) के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें वे निवेशकों को मूल्यवान अचल संपत्ति के मालिक होने का मौका प्रदान करते हैं। वे निवेशकों को लाभांश-आधारित आय और अंतर्निहित संपत्तियों से जुड़ी किसी अन्य आय तक पहुंचने का अवसर प्रस्तुत करते हैं। रीट्स विधायी दिशानिर्देशों के तहत कार्य करते हैं जो पारदर्शिता और निवेशक सुरक्षा प्रदान करते हैं। रीट्स, निवेशकों से धन इकट्ठा करते हैं, जिससे उन्हें अचल संपत्ति बाजार में प्रवेश करने का एक आसान तरीका मिलता है। रीट्स, निवेशकों को एक स्थिर आय प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इनमें निवेशों से जुड़े जोखिम भी होते हैं, जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। रीट्स सामान्यतः निवेशकों को 90% आय यूनिटधारकों को लाभांश के रूप में देते हैं। रीट्स के लिए आय रियल एस्टेट निवेश से किराये की आय के साथ-साथ ऐसी संपत्तियों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ के रूप में आती है। यह लाभ इस रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के प्रबंधन के साथ-साथ प्रबंधन कंपनी और ट्रस्टियों सहित विभिन्न पेशेवरों

के लिए शुल्क से जुड़ी विभिन्न लागतों को समायोजित करने के बाद प्राप्त होता है।

रीट्स किसी को भी अचल परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो में निवेश करने की अनुमति देते हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से अन्य उद्योगों के स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है। रीट्स के स्टॉकधारक बिना अचल संपत्ति खरीदे, अचल संपत्ति निवेश के माध्यम से उत्पादित आय का एक हिस्सा अर्जित करते हैं। रीट्स स्टॉक एक्सचेंजों पर इक्विटी स्टॉक्स की तरह सार्वजनिक रूप से ट्रेड करते हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा लिक्विड हो जाते हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वित्त दो बुनियादी रूप ले सकता है, ऋण या इक्विटी, रीट्स को भी इक्विटी रीट्स या ऋण रीट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इक्विटी रीट्स के धारक परिसंपत्तियों के मालिक होते हैं, जबकि ऋण रीट्स के धारक अचल संपत्ति बंधक (mortgage) में निवेश करते हैं। रीट्स के पास वित्त जगत में उपयोग की अपार संभावनाएं है और उनकी इकाइयां वित्त जुटाने, परिसंपत्तियों को नियंत्रित करने या उनमें व्यापार करके धन कमाने में मदद कर सकती हैं। इस वित्त का उपयोग व्यापक और अद्भुत रूप से विविध स्थानों में किया जा सकता है- जैसे कि कार्यालय, पार्किंग, गोदाम, शॉपिंग मॉल, आवास किराया, अवकाश गृह, होटल उद्योग, खेल सुविधाएं, आदि।

रीट्स में निवेश से हमें कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि परिसंपत्तियों का विविधीकरण, संगठित तरीके से परिसंपत्ति प्रबंधक या पोर्टफोलियो प्रबंधक की सेवाएं और छोटी बचतों का अचल परिसंपत्तियों में निवेश।

रीट्स में एक प्रायोजक, एक प्रबंधन कंपनी और एक ट्रस्ट होती है। रीट्स की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत एक ट्रस्ट के रूप में की जाती है। प्रायोजक या निवेशक जो ट्रस्ट बनाता है, वह इकाइयों के बदले में REIT को संपत्तियों का स्वामित्व हस्तांतरित करता है। ट्रस्ट लाभार्थी यूनिट धारकों की ओर से अचल संपत्तियों का मालिक होता है और उनके हितों की रक्षा के लिए ट्रस्ट जिम्मेदार होती है। प्रबंधन कंपनी को रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह की त्रिपक्षीय संरचना निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करती है। रीट्स का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा किया जाता है।

वर्तमान में 5 सूचीबद्ध रीट्स हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड होते हैं- ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट और 360 वन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।

एनपीएस और पीएफआरडीए द्वारा विनियमित/प्रशासित अन्य पेंशन योजनाओं के लिए पीएफआरडीए द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों में, सेबी द्वारा विनियमित रीट्स और इनविटस द्वारा जारी इकाइयों और ऋण प्रतिभूतियों दोनों में निवेश की अनुमति दी गई है। पेंशन निधियों ने रीट्स और इनविटस के रिटर्नस और फंड के विविधीकरण पर विश्लेषण करते हुए इन इकाइयों/ प्रतिभूतियों में निवेश करना शुरू कर दिया है। दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष तक, पेंशन निधियों ने रीट्स और इनविटस में लगभग 1,195 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

जनसांख्यिकीय लाभांश : भारत के लिए सुनहरा अवसर

मोहित यादव, उप महाप्रबंधक

जनसांख्यिकी क्या है?

जन्म, प्रवासन और उम्र में वृद्धि के सहसंबंध के साथ मानव जनसंख्या (आकार, संरचना, वितरण) का अध्ययन।

जनसांख्यिकीय संक्रमण क्या है?

जैसे-जैसे समाज एक जनसांख्यिकीय शासन से दूसरे में जा रहा है, मृत्यु-दर, प्रजनन और विकास-दर का पैटर्न बदल रहा है।

जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है?

जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की संभावनाएँ भी बदल सकती हैं, मुख्यतः जब कामकाजी उम्र (15 वर्ष से 64 वर्ष) की आबादी का हिस्सा गैर-कामकाजी उम्र (14 वर्ष और उससे कम, तथा 65 वर्ष और उससे अधिक) की आबादी के हिस्से से बड़ा हो।

जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवधारणा, आयु संरचनाओं में बदलाव और आर्थिक विकास क्षमता पर होने वाले प्रभाव पर जोर देती है, जिसे आमतौर पर जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में जाना जाता है। जनसांख्यिकीय लाभांश का अनुभव करने के लिए, किसी देश को जनसांख्यिकीय परिवर्तन अर्थात उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर से कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर की ओर से गुजरना होगा ।

जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरण

मानक	चरण 1	चरण 2	चरण 3	चरण 4	चरण 5
जन्म दर	उच्च	उच्च	गिरती हुई	निम्न	संभावित रूप से और भी गिरती हुई
मृत्यु दर	उच्च	तेजी से गिरती हुई	धीरे-धीरे कम होती हुई	निम्न	निम्न
जनसंख्या परिवर्तन	स्थिर या धीरे-धीरे बढ़ती हुई	तेजी से बढ़ती हुई	वृद्धि धीमी होती हुई	गिर रही और फिर स्थिर होती हुई	थोड़ा परिवर्तन, संभवतः गिरावट होती हुई
जनसंख्या पिरामिड	व्यापक आधार, उच्च जन्म दर का संकेत देता है, और तेजी से कम होता है, जो सभी आयु स्तरों पर उच्च मृत्यु दर को दर्शाता है।	व्यापक आधार, लेकिन मृत्यु दर में गिरावट के कारण पक्ष सीधे हो जाते हैं, जो युवा जनसंख्या संरचना को दर्शाता है।	चरण 2 की तुलना में संकीर्ण आधार, जन्म दर में गिरावट और जनसंख्या की उम्र बढ़ने के साथ अधिक समान आकार का संकेत देता है ।	संकीर्ण आधार और अधिक बेलनाकार आकार, कम जन्म और मृत्यु दर के साथ एक स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है।	चौड़े शीर्ष के साथ संकीर्ण आधार, उम्रदराज होती आबादी का संकेत देता है।

जनसांख्यिकीय चरणों में वैश्विक भिन्नता मौजूद है और आय संरचना में परिवर्तन से प्रेरित आर्थिक विकास की संभावना है। जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल समाज के विकास के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि पैटर्न में बदलाव को भी दर्शाता है। प्रारंभ में, उच्च जन्म और मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि को स्थिर रखती है। विकास के साथ, मृत्यु दर में गिरावट आती है, जिससे तेजी से जनसंख्या वृद्धि होती है, इसके बाद जन्म दर में गिरावट आती है जो अंततः जनसंख्या को स्थिर कर देती है। पूर्व-लाभांश और प्रारंभिक-लाभांश चरणों में देशों को जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन में निवेश करते हुए प्रजनन और मृत्यु दर को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देर से लाभांश चरण में देशों को अपने जनसांख्यिकीय संक्रमण के आर्थिक लाभों को बनाए रखने और उसे अधिकतम करने के लिए नीतियों को लागू करना चाहिए। लाभांश के बाद के देशों को ऐसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो मुख्य रूप से बढ़ती आबादी से संबंधित हैं। आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए बुजुर्ग आबादी का समर्थन करने के लिए नीतियों की आवश्यकता है।

भारत ने वर्ष 2005-06 में जनसांख्यिकीय लाभांश अवसर गवाक्ष में प्रवेश किया और वर्ष 2055-56 तक वहीं रहेगा। लगभग 1.4 अरब की आबादी के साथ, भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यहां लगभग 70% लोग 15-64 वर्ष की कामकाजी आयु सीमा के भीतर हैं। जनसांख्यिकीय अनुकूल परिस्थितियां भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं। हालाँकि, प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव की तुलना में, लेकिन अन्य एशियाई देशों के समान, भारत अपेक्षाकृत कम प्रति व्यक्ति आय पर 2.03 की वर्तमान टीएफआर तक पहुंच गया है।

प्रमुख आँकड़े
• जनसंख्या की औसत आयु : 28 वर्ष
• जन्म दर : प्रति महिला 2.03 जन्म (2021)
• मृत्यु दर : प्रति 1000 लोगों पर 9 (2022)
• शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म): 28 (2020)
• मातृ मृत्यु दर (प्रति लाख जीवित जन्म): 97 (2020)
• प्रजनन दर : प्रति महिला 2.03 जन्म (2021)
• जन्म के समय जीवन प्रत्याशा : 67 वर्ष (2021)
• जीवन प्रत्याशा 60:18 वर्ष (2021)
• वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात : 16
• महिला श्रम बल भागीदारी दर : 37%
• प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (यूएसडी) : 2730

अनुमानों के साथ भारत की आबादी का उभरता परिदृश्य प्रजनन दर, आयु संरचना, कार्यबल भागीदारी के साथ-साथ अंतर-राज्य असमानता में महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। भारत में प्रचलित जनसंख्या विरोधाभास, राज्यों के बीच विकास दर और आयु वितरण में असमानता एक जटिल तस्वीर प्रदान करती है। यह विरोधाभास न केवल संसाधन आवंटन और नीति निर्माण के संदर्भ में चुनौतियां पैदा करता है, बल्कि जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु अनुरूप हस्तक्षेप के लिए अद्वितीय अवसरों को भी प्रकट करता है।

अंतरराज्यीय रुझान
• आने वाले दशकों में अधिकांश राज्यों में पर्याप्त बुजुर्ग आबादी होगी। वर्ष 2036 तक दक्षिणी राज्यों में हर पांच में से एक व्यक्ति बुजुर्ग होगा।
• जनसांख्यिकीय परिवर्तन में आगे रहने वाले राज्यों (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र) में जनसंख्या वृद्धि में निरंतर गिरावट देखी जाएगी और 2031-41 तक यह लगभग शून्य वृद्धि दर तक पहुंच जाएगी।
• जनसांख्यिकीय परिवर्तन में पिछड़े राज्यों (छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश) में 2021-41 के दौरान जनसंख्या वृद्धि में भी उल्लेखनीय मंदी देखी जाएगी।
• दक्षिणी और पश्चिमी भारत में देश के बाकी हिस्सों की तुलना में वृद्ध आबादी का प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण-शहरी अंतर दर्शाते हैं कि इन क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में उम्र बढ़ने की दर अधिक है। साल 2011 में 10 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी 60+ वर्ष की थी।

ये रुझान दर्शाते हैं कि जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए रणनीतिक योजना और नीतिगत हस्तक्षेप बेहद जरूरी है। निर्भरता अनुपात में बदलाव, असमान जनसांख्यिकीय परिवर्तन और महिला श्रम-बल की न्यून भागीदारी जैसे मुद्दों के समाधान के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, भारत अपनी जनसांख्यिकीय लाभांश विंडो का लाभ उठा सकता है, श्रम उत्पादकता बढ़ा सकता है, संसाधनों का कुशलतापूर्वक पुनः आवंटन कर सकता है और सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा दे सकता है।

विश्व बैंक समूह और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, स्थायी विकास के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने हेतु उम्रदराज होती हुई आबादी, जनसांख्यिकीय रुझान और रणनीतियों पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि और डेटा प्रदान करता है।

दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को समझना और उनके अनुकूल होना महत्त्वपूर्ण है। जनसांख्यिकीय बदलाव की जटिलताओं को दूर करने और समृद्ध भविष्य हेतु जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिए सरकारी निकायों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अनुसंधान संस्थानों सहित हितधारकों के बीच एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की परिकल्पना की जानी चाहिए।

सन्दर्भ

- *जनसांख्यिकीय परिवर्तन और विकास: एक वैश्विक टाइपोलश्वजी, नीति अनुसंधान वर्किंग पेपर, विश्व बैंक समूह (2016)*
- *जनसांख्यिकीय संक्रमण: तीव्र जनसंख्या वृद्धि एक अस्थायी घटना क्यों है? : मैक्स रोजर (2019)*
- *आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 खंड 1, अध्याय 7: 2040 में भारत की जनसांख्यिकी: 21वीं सदी के लिए सार्वजनिक अच्छे प्रावधान की योजना बनाना*
- *जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (2020)*
- *जनसांख्यिकीय लाभांश एटलस, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) (2020)*
- *इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, हमारे बुजुर्गों की देखभाल: संस्थागत प्रतिक्रियाएँ। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 2023*
- *आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24*
- *संयुक्त राष्ट्र, विश्व जनसंख्या संभावनाएँ (2024)*

अनुरूपता : सामाजिक दबाव की ताकत

प्रदीप्तो चटर्जी, सहायक महाप्रबंधक

वर्ष 1951 में, पोलिश-अमेरिकन सामाजिक मनोवैज्ञानिक सोलोमन ऐश ने पेंसिल्वेनिया के स्वार्थमोर कॉलेज में एक प्रसिद्ध प्रयोग किया, जिसमें सामाजिक प्रभाव की शक्ति को जांचा गया। इस प्रयोग में एक साधारण कार्य शामिल था : प्रतिभागियों से पूछा गया कि तीन रेखाओं (A, B या C) में से कौन सी रेखा एक अलग कार्ड पर मौजूद रेखा की लंबाई के बराबर है। इस सेटअप में सही उत्तर B था, लेकिन प्रयोग का असली उद्देश्य दृश्य सटीकता की बजाय सामाजिक अनुरूपता को परखना था।

चित्र 1– प्रयोग सेटअप

आठ प्रतिभागियों को शामिल किया गया, लेकिन उनमें से केवल एक ही वास्तविक प्रतिभागी था। बाकी सात ''गुप्त सहायक'' थे, जिन्हें प्रयोगकर्ता ने निर्देशित किया था। प्रारंभिक दौर में, गुप्त सहायकों और वास्तविक प्रतिभागी ने सही उत्तर दिए। हालाँकि, बाद के दौर में, गुप्त सहायकों ने जानबूझकर गलत रेखा चुनी और वास्तविक प्रतिभागी के उत्तर से पहले अपनी पसंद को जोर से प्रकट किया।

मुख्य प्रश्न यह था कि, क्या वास्तविक प्रतिभागी अपने निर्णय पर भरोसा करेगा या समूह के गलत उत्तरों के साथ जाएगा। परिणाम चौंकाने वाले थे ! लगभग 75% प्रतिभागियों ने कम से कम एक बार समूह के साथ गलत उत्तर दिया, और 37% प्रतिभागियों ने लगातार समूह के गलत उत्तरों का अनुसरण किया।

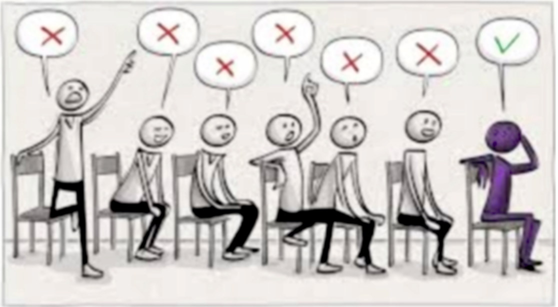

चित्र 2[1] – अनुरूपता

यह प्रयोग, जिसे अब "ऐश अनुरूपता प्रयोग" (Asch Conformity Experiments) के रूप में जाना जाता है, ने दिखाया कि समूह का दबाव व्यक्ति के निर्णय को कैसे विकृत कर सकता है। हालांकि इस प्रयोग की इसके प्रतिभागियों (सभी युवा पुरुष) और सीमित सामान्यीकरण के लिए आलोचना की गई है, किन्तु यह प्रयोग सामाजिक मनोविज्ञान में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, जो यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक प्रभाव द्वारा मानव व्यवहार कैसे प्रभावित होता है।

अनुरूपता का दिलचस्प मामला

अनुरूपता (conformity) वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार, विश्वासों या राय को समूह के अनुसार समायोजित करता है। सामान्यतः, यह मानव व्यवहार से जुड़ी होती है, किन्तु अनुरूपता को चिम्पांजी और बंदरों जैसे दूसरे जानवरों में भी देखा जाता है। वस्तुतः, यह मानव स्वभाव का एक मौलिक पहलू बन गई है, जो सीखने, जीवित रहने और सांस्कृतिक संचरण में सहायक है। अनुरूपता, सामाजिक दबाव, स्वीकृति की इच्छा, अस्वीकृति का डर और स्थितिगत कारकों से प्रभावित होती है, खासकर उन समाजों में जहां सामूहिकता को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है।

अनुरूपता से संबंधित दो मनोवैज्ञानिक घटनाएं, पसंद की झूठी प्रस्तुति (preference falsification) और बैंडवैगन प्रभाव (bandwagon effect), यह दर्शाती हैं कि अनुरूपता मानव के

[1]Image source- https://sproutsschools.com/aschs-conformity-experiment-can-you-withstand-groupthink

व्यवहार को कैसे आकार देती है। पसंद की झूठी प्रस्तुति, जिसे अर्थशास्त्री तिमूर कुरान ने व्याख्यायित किया है, तब होती है जब व्यक्ति सामाजिक दबाव के कारण अपनी सच्ची राय को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बैंडवैगन प्रभाव वह प्रवृत्ति है, जहां लोग दूसरों का अनुसरण करने के कारण कुछ व्यवहार या विश्वास अपनाते हैं, जिससे एक आत्म-संवर्धन चक्र बनता है।

अनुरूपता, पसंद की झूठी प्रस्तुति और बैंडवैगन प्रभाव का आपसी सम्बन्ध समाज पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यद्यपि ये ताकतें सामाजिक एकता को बढ़ावा दे सकती हैं, फिर भी ये असंगत निर्णय लेने, समूहवाद से अलगाव और असहमति को दबाने का कारण बन सकती हैं। ऐतिहासिक परिघटनाएं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होलोकॉस्ट और रवांडा जनसंहार यह दिखाते हैं कि अनुरूपता कैसे व्यक्तियों को विनाशकारी विचारधाराओं का अनुगमन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये घटनाएं वित्त और अर्थशास्त्र पर भी प्रभाव डालती हैं, और साथ ही व्यक्तिगत और व्यापक स्तर पर निर्णय क्षमता को प्रभावित करती हैं।

अनुरूपता और वित्तीय बुलबुले (Financial Bubbles) : एक आदर्श तूफान

वित्तीय बुलबुले, जो तेजी से मूल्य वृद्धि के बाद अचानक गिरावट से चिन्हित होते हैं, अक्सर निवेशक मनोविज्ञान द्वारा प्रेरित होते हैं, जिसमें अनुरूपता एक प्रमुख भूमिका निभाती है। किंडलेबर्गर-मिंसकी मॉडल वित्तीय बुलबुले के जीवन चक्र को पांच चरणों में वर्णित करता है : **विस्थापन** (displacement), **उछाल** (boom), **उत्साह** (euphoria), **वित्तीय संकट** (financial distress) **और विकर्षण** (revulsion)।

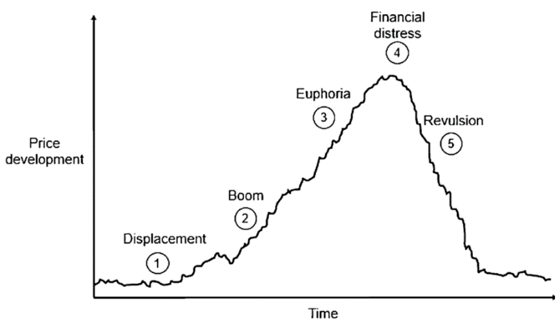

चित्र 3 - किंडलेबर्गर-मिंसकी मॉडल

वित्तीय बाजारों में अनुरूपता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है :

- सूचना कैस्केड : निवेशक दूसरों का अनुसरण करते हैं, यह मानते हुए कि उनके पास बेहतर जानकारी है, जिससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है।
- सामाजिक प्रमाण : शुरुआती निवेशकों की सफलता दूसरों को जोड़ने के लिए प्रेरित करती है, जिससे बुलबुला बढ़ता है।
- छूटने का डर (FOMO) : लाभ खोने के डर से निवेशक मौजूदा बाजार प्रवृत्ति के साथ अनुरूपता बनाते हैं।
- बैंडवैगन प्रभाव : कीमतों में वृद्धि और अधिक निवेशकों को आकर्षित करती है, जो एक आत्म-सिद्ध भविष्यवाणी बनाती है।

जब बुलबुले फटते हैं, तो अनुरूपता तेजी से गिरावट को भी प्रेरित करती है :

- पैनिक सेलिंग : जैसे-जैसे कीमतें गिरती हैं, डर फैल जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर बिक्री शुरू होती है।
- उल्टा बैंडवैगन प्रभाव : अधिक निवेशक बेचते हैं, जो कीमतों में गिरावट को और बढ़ाता है।

भारत में कुछ चुनिन्दा मामले

- हर्षद मेहता घोटाला (1992) : मेहता ने स्टॉक की कीमतों में हेरफेर की, जिससे अनुरूपता के व्यवहार से भरे एक बुलबुले का निर्माण हुआ। अंततः, इस गिरावट ने महत्त्वपूर्ण वित्तीय नुकसान किया लेकिन इससे भारत में वित्तीय सुधार भी हुआ।
- डॉट-कॉम बुलबुला : 1990 के दशक के अंत में, टेक स्टॉक्स के प्रति उत्साह ने भारतीय निवेशकों को मूल्यांकन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जब वैश्विक बुलबुला फटा, भारतीय टेक स्टॉक्स भी गिर गए। यह परिघटना सामूहिक व्यवहार के खतरों को उजागर करती है।

हाल की प्रवृत्तियाँ : भारतीय खुदरा निवेशकों की बढ़ती संख्या, विशेष रूप से डेरिवेटिव्स में, पूर्ववर्ती बुलबुलों की याद दिलाती है। मीडिया प्रचार, वित्तीय प्रभावों और त्वरित लाभ के आकर्षण से प्रेरित होकर कई युवा निवेशक बिना उचित ज्ञान के ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो संभावित आर्थिक परिणामों के प्रति चिंताजनक है।

निवेश में अनुरूपता को कम करना

जानकारीपूर्ण और स्वतंत्र वित्तीय निर्णय लेने के लिए ऐसी अनुरूपता को कम करना महत्त्वपूर्ण है, जो सामूहिक व्यवहार और जोखिमपूर्ण निवेशों का कारण बन सकती है। निवेश में अनुरूपता को कम करने के लिए कुछ प्रमुख रणनीतियाँ इस प्रकार हैं :

1. स्वयं को शिक्षित करें : बाजार की बुनियादी बातें, संपत्ति वर्ग, और वित्तीय उपकरणों को समझें ताकि आप तथ्यों के आधार पर निर्णय ले सकें, न कि प्रवृत्तियों का अनुसरण करें।
2. अपनी व्यक्तिगत रणनीति बनाएं : अपने वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम सहिष्णुता, और निवेश की समयसीमा को परिभाषित करें। एक स्पष्ट, व्यक्तिगत योजना दूसरों के कार्यो के साथ अनुरूपता के दबाव को सहन करने में मदद करती है।
3. स्वतंत्र अनुसंधान करें : बाजार की प्रवृत्तियों पर जाने से पहले, अपने लक्ष्य के हिसाब से स्वतंत्र अनुसंधान करें। विविध स्रोतों का उपयोग करें और जानकारी को क्रॉस-चेक करें।
4. सोशल मीडिया के प्रभाव को सीमित करें : सोशल मीडिया सामूहिक व्यवहार को बढ़ा सकती है। निवेश सलाह के लिए इसपर निर्भर होने से बचें और विविध दृष्टिकोण खोजें ताकि संभावित जोखिमों की पहचान की जा सके।
5. बाजार की अस्थिरता के दौरान शांत रहें : बाजारों में उतार-चढ़ाव होता रहता है, और उसके प्रभाव में आना आसान है। अपनी रणनीति पर बने रहें और दूसरों के कार्यो पर आधारित तात्कालिक निर्णय लेने से बचें।
6. वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें : एक योग्य सलाहकार व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, जो आपकी विशिष्ट स्थिति के आधार पर निर्णय लेने में मदद करता हो । ऐसी सलाह को चुनौती देने से आपका सर्वोत्तम हित सुनिश्चित होगा।

इन रणनीतियों को अपनाकर, आप एक स्वतंत्र और अनुशासित निवेश दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही अनुरूपता के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना को बढ़ा सकते हैं।

सन्दर्भ

1. *एश, सोलोमन। 1951. ''निर्णयों के संशोधन और विरूपण पर समूह के दबाव का प्रभाव।'' समूहों, नेतृत्व और पुरुषों में: मानव संबंधों में अनुसंधान, कार्नेगी प्रेस, 177–90।*
2. *एश, सोलोमन। 1955. ''राय और सामाजिक दबाव।'' प्रकृति 176 (4491): 1009–11*
3. *बेरेनबाम, माइकल। 2024. ''नाजी यहूदी विरोधी भावना और प्रलय।'' एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका। https://www.britannica.com/ topic/ anti-Semitism/ Nazi-anti-Semitism-and-the-Holocaust, (8 दिसंबर, 2024)*
4. *ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया के संपादक। 2024. ''1994 का रवांडा नरसंहार।''एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका। https://www.britannica.com/ event/Rwanda-genocide-of-1994 (अगस्त 12,2024)*
5. *कॉल्टास, जूली सी., और एडविन जे.सी. वान लीउवेन। 2015. ''अनुरूपता: परिभाषाएँ, प्रकार, और विकासवादी ग्राउंडिंग।'' सामाजिक मनोविज्ञान पर विकासवादी परिप्रेक्ष्य में, विकासवादी मनोविज्ञान, संस्करण। वर्जिल जिग्लर-हिल, लिसा एल.एम. वेलिंग, और टश्वड के. शेकेलफोर्ड। चाम: स्प्रिंगर इंटरनेशनल पब्लिशिंग, 189–202। doi:10.1007/978–3–319–12697–5_15*
6. *इग्नू, इज्ञकोश. ''यूनिट–4 मानदंड और अनुरूपता– ASCH की लंबाई प्रयोगों की रेखा'।'' https://egyankosh.ac.in/ bitstream/ 123456789/23595/1/Unit-4.pdf (8 सितंबर, 2024)*
7. *इंडिया टुडे. (2020, 20 अक्टूबर)। हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाला: भारत की बैंक धोखाधड़ी की विरासत। इंडिया टुडे. https://www.indiatoday.in/ business/story/harshad-mehta-securities-scam-india-legacy-of-bank-fraud-1733374-2020-10-20 (13 अगस्त, 2024)*
8. *कुरान, तिमुर. 1995. निजी सत्य, सार्वजनिक झूठ: वरीयता मिथ्याकरण के सामाजिक परिणाम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस*
9. *मैकलियोड, शाऊल। 2023. ''सोलोमन एश अनुरूपता रेखा प्रयोग अध्ययन।''बस मनोविज्ञान.https://www. simplypsychology.org/asch-conformity.html (8 दिसंबर, 2024)*
10. *मेहरलिंग, पेरी। 2023. "राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अस्थिरता के साथी यात्रा सिद्धांतकार"*
11. *पटनायक, तीर्थकर. 2023. ''भारत में खुदरा निवेश।'' बैंकिंग और वित्त (22)*
12. *श्मिट–बेक, रुडिगर। 2015. ''बैंडवैगन इफेक्ट।''द इंटरनेशनल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में, संस्करण। जियानपिएत्रो माजोलेनी। विली, 1–5. doi:10.1002/9781118541555. wbiepc015.*
13. *सेबी. 2023. इक्विटी एफ एंड ओ सेगमेंट में काम करने वाले व्यक्तिगत व्यापारियों के लाभ और हानि का विश्लेषण। मुंबई*
14. *टाइम्स न्यूज नेटवर्क। 2024. ''बचत एफ एंड ओ दांव जैसी सट्टा गतिविधियों में जा रही है: सेबी प्रमुख।'' बचत एफएंडओ दांव जैसी सट्टा गतिविधियों में जा रही है: सेबी प्रमुख। https://timesofindia.indiatimes.com/ business/ india-business/houseहोल्ड-savings-diverted-to-speculative-fo-bets-sebi-head-warns of–आर्थिक–इम्पैक्ट/articleshow/111872666-cms (8 दिसंबर, 2024).*

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) और मशीन लर्निंग (एम.एल.): परिप्रेक्ष्य एवं उपयोगिता

विशाल चौरसिया, सहायक महाप्रबंधक

आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग चर्चा का एक प्रमुख विषय बना हुआ है । अगर हम सूचना तंत्र के माध्यमों की बात करें तो सुर्खियों में ए.आई. (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) ही है, और प्रत्येक व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में ही बात कर रहा है। ए.आई. की उपयोगिता और संभावना के चलते सभी आई.टी. कंपनियां ए.आई. पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही हैं, और अब अधिकांश स्टार्टअप भी ए.आई. के क्षेत्र में ही आगे आ रहे हैं । ए.आई. द्वारा प्रदत्त विश्लेषणात्मक क्षमताओं के कारण न केवल सरकारें, बल्कि बड़ी और छोटी कम्पनियाँ भी ए.आई. के माध्यम से अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। भारत आई. टी. के क्षेत्र में एक अग्रणी देश है और ए.आई. के क्षेत्र में भी यह अग्रणी बनने का प्रयास कर रहा है। स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित ए.आई. इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में ए.आई. कार्यकुशल कर्मचारियों की सर्वाधिक संख्या है; हालाँकि ए.आई. में प्राइवेट निवेश के मामले में भारत 1.39 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ विश्व में दसवें स्थान पर है। निश्चित तौर पर ए.आई. के क्षेत्र में काफी कुछ किया जाना अभी बाकी है, लेकिन ए.आई. का प्रभुत्व धीरे-धीरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देने लगा है । अतः यह जानना बहुत महत्त्वपूर्ण है कि ए.आई. क्या है, यह कैसे काम करता है और इसकी क्षमताएं क्या हैं ।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है, जो कंप्यूटर या मशीन को मानवीय बुद्धिमत्ता की तरह जटिल समस्याओं को सुलझाने के कौशल में सक्षम बनाती है। यद्यपि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विस्तृत विषय है और इसकी विभिन्न शाखाएं हैं फिर भी बुनियादी रूप से जटिल समस्याओं को सुलझाने एवं मानव रहित कृत्रिम कार्यशैली को विकसित करने की क्षमता ही इसकी आधारशिला है। प्रमुखतः इस तकनीक को संगणक (कंप्यूटर) के माध्यम से विस्तारित एवं संसाधित किया जाता है ।

<u>ए.आई. सिस्टम कैसे काम करता है</u> – ए.आई. की क्षमताओं को समझने के लिए यह जानना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि यह कैसे काम करता है । ए.आई. सिस्टम, विस्तृत परिमाण में निर्धारित किए गए मूल डेटा को ग्रहण करके, उसके परस्पर सह-संबंधों और स्थितियों का विश्लेषण करके संभावित स्थितियों और परिणाम के बारे में जानकारी देता है । इसके अतिरिक्त यह डेटा जनित पारस्थितिक तंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपयोगी पैटर्न एवं सार्थक सूचनाओं को प्रदान करता है । मुख्यतः असीमित परिमाण में डेटा ग्रहण करने के पश्चात उस डेटा का विश्लेषण करके आगे की सूचना को संसाधित करने में ए.आई. का उपयोग किया जाता है ।

मशीन लर्निंग (एम.एल.)

ए.आई. एक विस्तृत टर्म (शब्द) है और मशीन लर्निंग ए.आई. का एक प्रकार है। यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को, संग्रहित डेटा का उपयोग करके स्वायत्त रूप से पैटर्न को सीखने एवं पूर्वानुमान करने में सक्षम बनाती है । यह तकनीक अत्यधिक कारगार तब होती है, जब डेटा का आकार बहुत बड़ा हो और डेटा को एक निश्चित परिमाप में सही प्रारूप में लार्ज लैंग्वेज मॉडल में इनपुट किया गया हो ।

डीप लर्निंग

मशीन लर्निंग की बुनियादी परिभाषा समझने के बाद डीप लर्निंग के बारे में भी जानना आवश्यक हो जाता है । डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का एक उपसमुच्चय है जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क की तरह संसाधित न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके सूचनाओं को प्रदान करना है । डीप लर्निंग, जटिल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके डेटा को संसाधित कर उपयोगी सूचनाओं को प्रदान करती है।

डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग एक समान नहीं है । डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के बीच मुख्य अंतर अंतर्निहित न्यूरल नेटवर्क की संरचना है। मशीन लर्निंग, पारंपरिक मशीन लर्निंग मॉडल पर आधारित हो सकती है, जो कि एक या दो संगणकीय परतों (कम्प्यूटेशनल लेयर) के साथ मिलकर सरल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करती है जबकि डीप लर्निंग के लिए तीन या उससे अधिक परतों (लेयर्स) का उपयोग किया जाता है। जहाँ, मशीन लर्निंग में कुछ कम्प्यूटेशनल लेयर होती हैं, वहीं मुख्यतः डीप लर्निंग मॉडल सैकड़ों या हजारों कम्प्यूटेशनल लेयर्स से मिलकर बना होता है।

पारंपरिक साधारण मॉडल को सटीक आउटपुट देने के लिए संसाधित एवं सही तरीके से लेबल किए गए इनपुट डेटा की आवश्यकता होती है, जबकि डीप लर्निंग आधारित मॉडल संसाधित डेटा का उपयोग किये बिना भी, अव्यवस्थित एवं असंरचित डेटा से डेटा की विशेषताओं और संबंधों के साथ सटीक आउटपुट, प्रदान करता है। डीप लर्निंग आधारित मॉडल अत्यधिक सटीकता के साथ अपने आउटपुट का मूल्यांकन और परिशोधन भी कर सकते हैं।

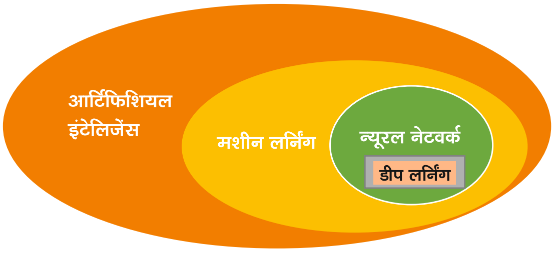

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चित्रात्मक वर्णन

न्यूरल नेटवर्क

ऊपर के परिच्छेद में हमने मशीन लर्निंग एवं डीप लर्निंग के बारे में जाना। हमने यह भी जाना की कैसे डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है । न्यूरल नेटवर्क, मानव मस्तिष्क के समान आपस में जुड़े हुए एक तंत्र का विस्तृत रूप हैं जिसमे लाखों की संख्या में छोटे छोटे नोड्स आपस में जुड़कर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं यह नोड्स डेटा इनपुट को सटीक रूप से पहचानने, वर्गीकृत करने और उनका वर्णन करने के लिए एक साथ काम करते हैं।न्यूरल नेटवर्क में इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर और हिडन लेयर्स भी होती हैं जो डेटा को विस्तृत परिमाण में शोधित करने में सहायक होती हैं।

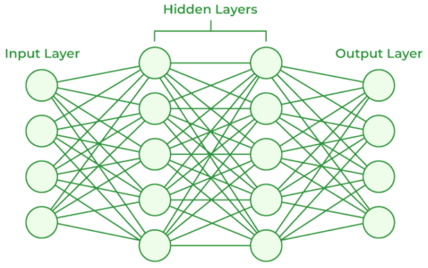

न्यूरल नेटवर्क का चित्रात्मक वर्णन

जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Gen-AI)

जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो पूर्व निर्मित जेनरेटिव ए.आई. मॉडल का उपयोग करके भाषा, चित्र, ऑडियो, वीडियो या अन्य डेटा उत्पन्न करने में सक्षम होती है। जेनरेटिव ए.आई. मॉडल अपने इनपुट डेटा के पैटर्न और संरचना को संसाधित कर समान विशेषताओं वाले नए डेटा एवं पैटर्न उत्पन्न कर सकते हैं।

लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एल.एल.एम्) –

भाषा-आधारित जेनरेटर मॉडल के सबसे लोकप्रिय मॉडल्स को लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एल.एल.एम.) कहा जाता है । भाषीय मॉडल, जेनरेटिव ए.आई. के प्रमुख मॉडल है और इन मॉडल को सबसे उन्नत और मूल मॉडल माना जाता है। निबंध निर्माण, कोड विकास, अनुवाद और यहां तक कि आनुवंशिक अनुक्रमों को समझने सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का उपयोग किया जा रहा है।

विश्व में भाषा आधारित प्रचलित मॉडल्स में 'ओपन ए.आई.' का 'चैट जी.पी.टी.', और 'गूगल' का 'जैमिनी' प्रमुख हैं, परन्तु भारत में भी बड़े पैमाने पर भाषा आधारित लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बनाया एवं उपयोग किया जा रहा है, जैसे 'सर्वम ए.आई.' का 'ओपन-हाथी', 'ओला' का 'कृत्रिम', आदि प्रमुख भारतीय भाषा आधारित मॉडल हैं।

विश्व में प्रमुखता से उपयोग किये जाने वाले मॉडल अमेरिका एवं यूरोप के मॉडल्स पर आधारित हैं, जिसमें अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है, इन मॉडल्स में अरबों-खरबों पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी 3.5 में 175 बिलियन पैरामीटर का उपयोग किया गया है, और इसका अगला वर्जन 1.7 ट्रिलियन पैरामीटर पर आधारित है।

भारतीय कंपनी 'सर्वम ए.आई.' ने 7-13 बिलियन पैरामीटर आधारित भाषीय मॉडल बनाया है, और आई.टी. क्षेत्र की कंपनी टेक महिंद्रा ने भी 'इंडस प्रोजेक्ट' के अंतर्गत 1.2 बिलियन पैरामीटर आधारित हिंदी मॉडल का निर्माण किया है जिसमे 37 से अधिक भाषाएँ हैं, रिलायंस जिओ द्वारा वित्त-पोषित एक ए.आई. कंपनी "टू ए.आई." ने भी "चैट सूत्रा" मॉडल लांच किया है जो हिंदी, गुजराती सहित आठ भाषाओं को सपोर्ट करता है। इन मॉडल्स का

उपयोग विभिन्न संस्थाओं द्वारा आवश्यकता के आधार पर किया जा रहा है, जैसे बिहार में "आई–सक्षम" नाम का एन.जी.ओ. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ए.आई. का प्रयोग कर रहा है।

ट्रेनिंग डेटासेट

ए.आई के सभी मॉडल्स या अल्गोरिथम डेटा सेट पर ही आधारित हैं, जिसमें ट्रेनिंग डेटा सेट एक मूलभूत डेटा है। ट्रेनिंग डेटा एक प्रारंभिक डेटासेट है जिसका उपयोग मशीन लर्निंग एप्लिकेशन, एल्गोरिदम या मॉडल को जानकारी संसाधित करने के लिए, पैटर्न पहचानने या डेटा प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। ट्रेनिंग डेटा सेट को अल्गोरिथम के माध्यम से लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कैसे उपयोग किया जाता है, यह निम्न चित्र में वर्णित है।

ओपन ए.आई. की वेबसाइट https://community.openai.com/t/what-is-the-size-of-the-training-set-for-gpt-3/360896 के अनुसार, ओपन ए. आई. अपने जी.पी.टी मॉडल में 45 टेरा बाइट के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का प्रयोग करती है।

टोकनाइजेशन

ऊपर के पैरा में हमने यह जाना की लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या हैं, अब हम यह जानेंगे की यह कैसे काम करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डेटा आधारित होते हैं और इन असंरचित डेटा को टोकन के माध्यम से एकत्रित और विश्लेषित किया जाता है, जिसे टोकनाइजेशन कहते हैं। टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां शब्दों और अक्षरों सहित भाषा के मशीनों द्वारा विश्लेषण हेतु भाषा को छोटी–छोटी इकाइयों में विघटित किया जाता है, जिन्हें टोकन कहा जाता है। भारतीय भाषाओँ के लिए अंग्रेजी की तुलना में अधिक टोकन की आवश्यकता होती है।

टोकनाइजेशन का उद्देश्य किसी असंरचित डेटा को एक ऐसे प्रारूप में तैयार करना है जिसका कम्प्यूटेशनल मॉडल अधिक आसानी से विश्लेषण कर सकें।

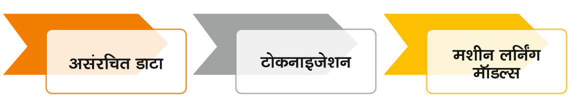

लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स द्वारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हेतु टोकनाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। टोकनाइजेशन के माध्यम से इनपुट डेटा को मानकीकृत करने में मदद मिलती है, जिससे इसे संसाधित करना और विश्लेषित करना आसान हो जाता है।

टोकनाइजेशन' को दो प्रमुख पद्धतियों में विभक्त किया गया है, जिन्हें 'वर्ड टोकनाइजेशन', एवं 'सेंटेंस टोकनाइजेशन' कहते हैं।

टोकनाइजेशन की लागत

ए.आई. मॉडल को तैयार करने के लिए अत्यधिक मात्रा में संसाधन एवं धन की आवश्यकता होती है। एक भारतीय ए.आई. मॉडल को तैयार करने में विदेशी मॉडल की तुलना में कई गुना धन व्यय होता है, उदाहरण – एक वाक्य " ए.आई. के क्षेत्र में भारत एक अग्रणी देश है " के अंग्रेजी मॉडल के लिए 8 टोकन की आवश्यकता है वही हिंदी मॉडल के लिए तकरीबन 18 टोकन की जरूरत होगी। अतः ए.आई. मॉडल की सार्थकता उसके टोकन की संख्या पर निर्धारित है।

चैट–सूत्रा द्वारा 1 मिलियन टोकन के लिए 0.22$ कीमत दर्शाई गयी है वही https://openai.com/api/pricing/ के अनुसार जी.पी.टी40 के 1 मिलियन टोकन के लिए 5 $ खर्च करना होगा। हाल ही में ओपन ए.आई. द्वारा कम लागत वाला मॉडल जी.पी.टी 40–मिनी लांच किया है जिसके इनपुट टोकन की कीमत 15 सेंट प्रति मिलियन टोकन है एवं आउटपुट टोकन की कीमत 60 सेंट प्रति मिलियन है। उक्त जानकारी के माध्यम से यह साफ है की ए.आई. मॉडल के लिए टोकनाइजेशन सबसे पहली और काफी महँगी प्रक्रिया है।

ए.आई. प्रोम्पटिंग

ए.आई. मॉडल बनाने के बाद मशीन से उसी की भाषा में संचार स्थापित करने की प्रक्रिया को प्रोम्पटिंग कहते हैं। प्रोम्पटिंग के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट दिशानिर्देश या प्रश्न एक निर्दिष्ट प्रारूप में इंटर किये जाते हैं।

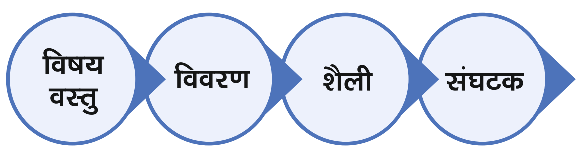

ए.आई. प्रोम्पटिंग का सांकेतिक प्रारूप

ए.आई. इंफ्रास्ट्रक्चर

ए.आई. के कार्यान्वन के लिए अनेक हार्डवेयर उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जिनमें सबसे प्रमुख ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स (जी.पी.यू.) है। सामान्य डेटा प्रोसेसिंग सी.पी.यू. से भी संभव है, परन्तु मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से सम्बंधित कार्य केवल जी.पी.यू. से ही किये जा सकते हैं। जी.पी.यू., सी.पी.यू. के समान ही है, केवल अंतर यह है कि जी.पी.यू. एक ही समय में समानांतर क्रम में बड़ी मात्रा में कार्य की गणना कर सकता है। डीप न्यूरल नेटवर्क मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए जी.पी.यू. सबसे महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक है। इसमें हजारों कोर होते हैं जो कार्य को वितरित करने और समानांतर प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं।

जी.पी.यू. के कोर बहुत सरल होते हैं और अधिक जगह नहीं लेते हैं। सामान्यतया उपयोग किये जाने वाले सी.पी.यू. से जी.पी.यू. में कई गुना अधिक कोर होते हैं, उदाहरण के लिए आज हमारे पास बाजार में 64 कोर वाले प्रोसेसर हैं, वहीं ऐसे जी.पी.यू. भी हैं जिनमें 10,000 से अधिक कोर हैं, इनका विस्तृत चित्र नीचे है।

जी.पी.यू. के अलावा एक विस्तृत डेटा सेंटर की भी जरूरत होती है, ये सेण्टर कार्यभार के अनुसार जगह, बिजली, कूलिंग और डेटा/पावर पोर्ट कनेक्शन जैसे बहुत सारे डेटा सेंटर संसाधनों का उपभोग करते हैं। यह डेटा सेंटर अत्यधिक उर्जा की खपत करते हैं एवं वातावरण में कार्बन उत्सर्जन को भी बढ़ाते हैं।

भारत में ए.आई से सम्बंधित रेगुलेशन :

डीप फेक से निपटने एवं ए.आई जैसे विस्तृत क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार एक विनियमन प्रक्रिया पर कार्य कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य ए.आई. से जुड़े हुए रिस्क से निपटना और ए.आई. के उपयोग को बढ़ावा देना है। अमेरिका में हाल ही में इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक नया बिल (कंटेंट ओरिजिन प्रोटेक्शन एंड इंटीग्रिटी फ्रॉम डीप-फेक मीडिया एक्ट) लागू किया गया है।

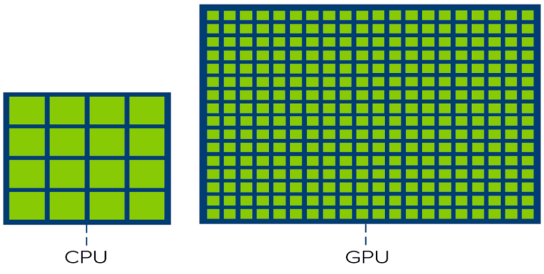

ए.आई. को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाये गए कदम

भारत सरकार ने ए.आई. मिशन के तहत लगभग ₹10,372 करोड़ का फण्ड निर्धारित किया है और गणना क्षमता के निर्माण में सहायता के लिए आवश्यक 10,000 से अधिक जीपीयू प्रदान करने के लिए लगभग ₹5,000 करोड़ निर्धारित किए हैं।

जी.पी.यू., तेज प्रसंस्करण के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) और मशीन लर्निंग के कार्यो में तेजी लाने के लिए अनुकूलित विशेष चिप्स हैं। एनवीडिया, इंटेल और ए.एम.डी. जैसी कम्पनियाँ दुनिया के सबसे बड़े जी.पी.यू. उत्पादकों में शामिल हैं।

विश्व स्तर पर, ए.आई. कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना उन देशों के लिए एक रणनीतिक मुद्दा बन गया है, जो अपनी कंपनियों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों के लिए कंप्यूट क्षमता सुरक्षित करने हेतु अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, चीन और अमेरिका ने पहले ही एनवीडिया की जीपीयू रेंज का अधिग्रहण शुरू कर दिया है, जिसमें शक्तिशाली एच100 चिप्स भी शामिल हैं।

भारत में भी कंपनियों को ए.आई. कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के संभावित तरीकों पर विचार किया जा रहा है। जीपीयू एक बहुत महंगा और दुर्लभ रिसोर्स है, उदाहरण के लिए एनवीडिया के नवीनतम ब्लैकवेल जैसे जीपीयू बेहद महंगे हैं और इनकी प्रति यूनिट लागत 40,000 डॉलर तक है। इसलिए एक ओर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एनवीडिया से जीपीयू का सीधे अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है, और दूसरी ''रेंट-एंड-सबलेटिंग'' मॉडल के तहत सरकार कंपनियों को आपूर्तिकर्ता के साथ किराए पर लेने या सबलेटिंग करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है।

ए.आई. की उपयोगिता

ए.आई. का उपयोग, नए पैटर्न खोजने, अव्यवस्थित डेटा से अर्थ निकालने, पूर्वानुमान करने तथा लोगों, मशीनों और भौतिक वातावरण के साथ संवाद करने के लिए किया जा सकता है। ए.आई. का उपयोग नॉलेज, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग और ऑटोमेशन प्रोसेस के लिए प्रोग्रामिंग आदि के लिए भी किया जा सकता है।

ए.आई. का उपयोग स्वास्थ्य सेवा में रोगों का शीघ्र निदान, मरीजों की हेल्थ हिस्ट्री एवं सेहत की मोनिटरिंग में भी किया जा रहा है। ए.आई. स्वास्थ के पैटर्न और डेटा का विश्लेषण करके यह पूर्वानुमान लगाता है कि, किसी रोगी में कब/कैसे कोई विशिष्ट रोग विकसित होने की संभावना है।

ग्राहक सेवा में वर्चुअल असिस्टेंट चैट-बॉट, सरल और सामान्य अनुरोधों को संभाल सकते हैं, और अधिक जटिल कार्यो के लिए मानव संसाधन तक अनुरोधों को भेजने में मदद कर सकते हैं।

वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाने के लिए भी ए. आई. का प्रयोग किया जाता है। ए.आई. धोखाधड़ी के पैटर्न का विश्लेषण करता है ताकि इसे यथाशीघ्र पकड़ा जा सके, तथा इसे पूरी तरह से रोका जा सके।

किसी व्यवसाय को उसके भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाने में मदद करना, पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण का सृजन करना, गलत निर्णयों को रोकने और मजबूत निर्णयों को समर्थन देने में सहायता करना ए.आई. के अन्य उपयोग हैं ।

ए.आई. से नुकसान

ए.आई. को लागू करने का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट दोष यह है कि इसका कार्यान्वयन बहुत महंगा है। इसमें निर्णय लेने में भावना, और रचनात्मकता का उपयोग करने की मानवीय क्षमता का अभाव है। ए.आई. बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया मॉडल और प्रशिक्षण डेटा अंततः पुराना और अप्रचलित हो जाता है। ए.आई. स्वाभाविक रूप से अपने अनुभव और गलतियों से कोई सीख नहीं लेता है।

जैसे-जैसे कंपनियों में ए.आई. का इस्तेमाल आम होता जाएगा, यह उपलब्ध नौकरियों को कम कर सकता है, क्योंकि ए.आई. उन दोहराए जाने वाले कार्यो को आसानी से संभाल सकता है, जो पहले कर्मचारियों द्वारा किए जाते थे।

चूंकि, ए.आई. पैटर्न को पहचानने में उत्कृष्ट है, इसलिए यह व्यक्तिगत जानकारी तक सीधी पहुँच के बिना भी लोगों का डेटा एकत्र कर सकता है इसलिए डेटा सेफ्टी के दृष्टिकोण से भी ए.आई. एक चिंता का विषय है।

निष्कर्ष :

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विगत कई दशकों से चर्चा के केंद्र में रहा एक ज्वलंत विषय है। वैज्ञानिक इसके अच्छे और बुरे परिणामों को लेकर समय-समय पर विचार-विमर्श करते रहते हैं। आज दुनिया तकनीक के माध्यम से तेजी से बदल रही है। विकास को गति देने और लोगों को बेहतर सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और भूमंडलीकरण ने जहाँ विकास की गति को तेज किया है, वहीं इसने कई नई समस्याओं को भी जन्म दिया है, जिनके नित नए समाधान सामने आते रहते हैं। जहाँ वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेकानेक लाभ गिनाते हैं, वहीं वे यह भी मानते हैं कि इसके आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्यों को ही होगा, क्योंकि उनका काम मशीनों से लिया जाएगा। वे स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगी और यदि उन पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो वे मानव सभ्यता के लिये हानिकारक हो सकती हैं। ऐसे में, इस्तेमाल से पहले उनके लाभ और हानि दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस): न केवल एक आवश्यकता बल्कि एक सुनहरा अवसर भी !

भावना मल्होत्रा, सहायक महाप्रबंधक

परिचय

तथ्य है कि, भारत की केंद्र सरकार ने दिनांक 1 जनवरी 2004 से (सशस्त्र बलों को छोड़कर अन्य सेवाओं के लिए) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की थी और इसे देश की विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी अधिसूचनाओं के माध्यम से अपनाया था। अपने लागू होने की तिथि से आज तक, अपनी विशेषताओं, लाभों, तकनीकी कार्यक्षमताओं, विनियमन, पर्यवेक्षण, अभिदाताओं की संख्या, उन तक पहुंच, प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति और कई अन्य विषयों में इसने एक लंबा सफर तय किया है।

दिनांक 31 जुलाई 2024 तक, देश भर में एनपीएस के तहत कुल अभिदाता आधार 1.84 करोड़ हो चुका है, तथा इसके प्रबंधन के अंतर्गत विशाल परिसंपत्तियां 12.41 लाख करोड़ हो गयी हैं। एनपीएस को हमारे जीवन में, हमारी अर्थव्यवस्था में और हमारे वर्तमान और भविष्य को लेकर अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

एनपीएस की आवश्यकता क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र की विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2023 जिसका शीर्षक है : 'उम्रदराज होती दुनिया में कोई पीछे न छूटे', के अनुसार, 'दुनिया भर में 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या दोगुनी से अधिक होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021 के 761 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2050 में 1.6 बिलियन हो जाएगी।

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के परिणामस्वरूप लोग लम्बी अवधी तक जीवित रहते हैं और प्रजनन दर में गिरावट के परिणामस्वरूप युवा लोगों की संख्या में भी कमी आती है।

भारत के परिपेक्ष्य में, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'भारत की बुजुर्ग आबादी के वर्ष 2050 तक दोगुनी होने 20.8% और वर्ष 2100 के अंत तक 36% तक पहुंचने का अनुमान है'।

बढ़ती वृद्ध आबादी से सरकारों पर पेंशन देनदारियों का बोझ काफी बढ़ जाता है। इसलिए, सरकारों पर बढ़ती पेंशन देनदारियों के बोझ को कम करने के लिए, भारत सहित दुनिया के कई देशों में पेंशन प्रणालियाँ धीरे-धीरे परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली से स्थानांतरित हो गई हैं। पहले की पेंशन योजनाएं परिभाषित लाभों के साथ नियोक्ता समर्थित पेंशन योजनाएं थी। अब परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली में, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों व्यक्तिगत पेंशन खातों में पूर्व निर्धारित दर पर अंशदान करते हैं, फिर उसका निवेश किया जाता है, जो पेंशन लाभ को निर्धारित करता है।

एनपीएस की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर भारत सरकार का ध्यान और जोर, वर्ष 2024 के बजट घोषणाओं में और भी अधिक सूक्ष्मता से प्रकट हुआ है, जिसमें कर्मचारी के एनपीएस खाते में नियोक्ता के अंशदान पर कर-कटौती सीमा को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, देश भर में हर व्यक्ति तक एनपीएस की पहुंच बढ़ाने और सुरक्षित बुढ़ापे को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही, एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की गयी है, जिसके तहत अब नाबालिगों को उनके माता-पिता और अभिभावकों द्वारा एनपीएस में नामांकित किया जा सकता है, जो बाद में उनके वयस्क होने पर यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर नियमित एनपीएस खाते में बदल जाएगा।

एनपीएस एक सुनहरा अवसर क्यों ?

एनपीएस एक व्यापक रूप से विनियमित और पर्यवेक्षित पेंशन प्रणाली है, जो पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के तहत परिभाषित नियमों और

विनियमों और स्थापत्य के एक सेट के अनुरूप संचालित होती है। एनपीएस के तहत अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य के साथ, विभिन्न नई सुविधाएँ और कार्यप्रणालियाँ नियमित रूप से पेश की जाती हैं और मौजूदा सुविधाओं की समीक्षा की जाती है।

एनपीएस का संस्थागत और विनियामक ढांचा, जो एनपीएस से संबंधित सूचना के प्रवाह और धन के प्रवाह को नियंत्रित करता है, पीएफआरडीए अधिनियम और नियमों के तहत परिभाषित विभिन्न मध्यस्थों के माध्यम से स्थापित किया गया है। यह ढांचा निम्नलिखित है :

1	एनपीएस के वितरण के लिए मध्यस्थ	पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी)/ उपस्थिति अस्तित्व
2	अभिलेखा रखने के लिए मध्यस्थ	सेन्ट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए)/ केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण
3	प्रणाली के बैंकर के लिए मध्यस्थ	ट्रस्टी बैंक (टीबी)/ न्यासी बैंक
4	निवेश प्रबंधन के लिए मध्यस्थ	पेंशन फंड मैनेजर्स (पीएफएम)/ पेंशन निधि प्रबंधक
5	प्रतिभूतियों की कस्टडी के लिए मध्यस्थ	कस्टोडियन/अभिरक्षक
6	अभिदाता की परिसंपत्ति धारित करने के लिए मध्यस्थ	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
7	वार्षिकी प्रदान करने के लिए मध्यस्थ	वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी)

एनपीएस योजना में शामिल होने और संचयन चरण से लेकर निकासी चरण तक, हर गतिविधि को परिभाषित, विनियमित और किसी भी चूक के लिए पर्यवेक्षित किया जाता है और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।

संपूर्ण रूप से विनियमित होने के अलावा, एनपीएस में सेवाओं की सुलभता और आसानी के विषय में अभिदाताओं की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है और कई महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ और लाभों को सक्षम किया गया है, जैसे :

- सेक्टर आधारित और निवेश आधारित स्कीम जैसे स्कीम-सीजी, स्कीम-एसजी, स्कीम-कॉर्पोरेट सीजी, स्कीम जी-टियर I, स्कीम-जी टियर II, स्कीम ई-टियर I, स्कीम ई-टियर II, स्कीम सी-टियर I, स्कीम ई-टियर II, स्कीम-टीटीएस, स्कीम ए-टियर I, स्कीम-एनपीएस लाइट
- वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से 24x7 ऑनबोर्डिंग, अंशदान, लेन-देन के विवरण तक ऑनलाइन पहुंच
- पेंशन फंड मैनेजर और निवेश पैटर्न के विकल्प
- अद्वितीय प्रान नंबर के माध्यम से नौकरियों में एनपीएस खाते की पोर्टेबिलिटी
- अंशदान चरण के दौरान पुरानी और नई कर व्यवस्था के तहत कर कटौती लाभ
- निकासी के समय संचित कॉर्पस और वार्षिकी खरीद पर कर छूट, वार्षिकी खरीद पर जीएसटी से छूट
- मजबूत शिकायत निवारण तंत्र
- ऑनबोर्डिंग, अंशदान और निकासी के चरणों में लागू शुल्क के मामले में तुलनात्मक रूप से कम लागत
- वेबसाइटों के माध्यम से नवीनतम नियमों, विनियमों और कार्यप्रणालियों, पीएफआरडीए, एनपीएस ट्रस्ट और मध्यस्थ तक पहुंच
- निर्धारित शर्तों पर आंशिक निकासी की सुविधा

व्यक्तिगत स्तर पर सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि, व्यक्तिगत खाते के तहत अंशदान पर रिटर्न के संदर्भ में, एनपीएस बाजार से जुड़ा एक उत्पाद है, जिसके तहत, परिभाषित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी, ऋण, सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट ऋण बाजार में अंशदान दिया जाता है। जहाँ यह अनुभव किया गया है कि एनपीएस सभी स्कीम विकल्पों में आज की तारीख में 9% से अधिक की प्रतिस्पर्धात्मक रूप से उचित रिटर्न पेश कर रहा है, जो बाजार में अन्य पारंपरिक वित्तीय उत्पादों की तुलना में अधिक है।

वृहद स्तर पर, बाजार में निवेश के माध्यम से प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों के रूप में एनपीएस के तहत जमा धन का विशाल

कोष देश की अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिचालन, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, परिवहन, बिजली आदि के लिए आवश्यक धन प्रदान करता है और आर्थिक विकास में योगदान देता है। यद्यपि एनपीएस जीडीपी अनुपात में पेंशन परिसंपत्तियों के प्रति अपने योगदान के संदर्भ में एक स्वागत योग्य कदम है, हालांकि, statista.com के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में पेंशन परिसंपत्तियों का अनुपात 6.5% है, जो कि कुछ अन्य देशों की तुलना में, जैसे नीदरलैंड - 159%, स्विट्जरलैंड-150%, कनाडा-146%, ऑस्ट्रेलिया-145%, यूएस-132% से काफी कम है। यह उम्मीद की जा रही है कि निकट भविष्य में एनपीएस के दायरे में अधिक लोगों के आने से इस अनुपात में बेहतरी आएगी।

निष्कर्ष

संक्षेप में हम अनुभव करते हैं कि, एनपीएस न केवल हमारे सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है, बल्कि देश के समग्र आर्थिक विकास में मजबूत योगदान देने का एक सुनहरा अवसर भी है। हालाँकि, जैसा लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं,

”वन है सुंदर और सघन, पर मुझको वचन निभाना है।
नींद सताए इसके पहले, मुझको मीलों जाना है,
मुझको मीलों जाना है।‘‘,

एनपीएस केवल दो दशक पुरानी प्रणाली है, जिसे अभी भी अपने रिटर्न के संदर्भ में, अपनी अभिदाता कवरेज के संदर्भ में, पेंशन परिसंपत्तियों और जीडीपी अनुपात के संदर्भ में, अपनी अद्भुत संपूर्ण क्षमता को प्राप्त करना शेष है, विशेषकर भारत जैसे देश में, जो 1.44 बिलियन की आबादी के साथ आबादी के मामले में शीर्ष स्थान पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, सही विनियमन, पर्यवेक्षण और अधिकतम आबादी के नामांकन के साथ, सूक्ष्म और वृहद स्तर पर विकास में अपनी कई सुविधाओं और लाभों के द्वारा चमत्कार कर सकती है।

संदर्भ :

- *संयुक्त राष्ट्र की विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2023 : 'उम्रदराज होती दुनिया में कोई पीछे न छूटे' (Leaving no one behind in an ageing world')*
- *संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की रिपोर्ट*
- *बजट प्रस्ताव 2024*
- *statista.com – वर्ष 2023 के आंकड़े*

व्यवस्थित एकमुश्त निकासी – निकासी के बाद भी एनपीएस से लाभ

मनमीत नागर, सहायक महाप्रबंधक

कोई अभिदाता अपने ऊपर लागू सेवा नियमों द्वारा सेवानिवृति की निर्धारित आयु प्राप्त करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से निकासी कर सकता है। पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 (निकास विनियम) और उसके संशोधनों के अनुसार, एनपीएस से निकासी के समय अभिदाता के पास चुनने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं –

1. अभिदाता द्वारा एनपीएस से निकासी के समय संचित कोष के न्यूनतम 40% का उपयोग वार्षिकी की खरीद के लिए और संचित कोष का अधिकतम 60% एकमुश्त के रूप में निकल सकता है।
2. अभिदाता 75 वर्ष की आयु तक एकमुश्त राशि की निकासी को स्थगित करने के विकल्प के साथ तुरंत वार्षिकी खरीद सकता है।
3. अभिदाता एकमुश्त राशि निकाल सकता है और 75 वर्ष की आयु तक वार्षिकी की खरीद को स्थगित कर सकता है।

इसके अलावा, अभिदाता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद भी 75 वर्ष की अधिकतम आयु तक एनपीएस खाते को जारी रख सकता है और एनपीएस में अंशदान कर सकता है।

सेवानिवृत्ति के समय निवेशक के समक्ष आने वाली मुख्य दुविधाओं और जोखिमों में से एक, प्राप्त पेंशन कॉर्पस का पुनर्निवेश है। सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त पेंशन कोष के मूल्य को कई कारक प्रभावित कर सकते हैं, जैसे बाजार परिदृश्य, कर–निहितार्थ आदि।

इसके अलावा, सेवानिवृत्ति पर बड़ी राशि प्राप्त करने से अत्यधिक खर्च, व्यर्थ व्यय या उच्च जोखिम वाली संपत्तियों में निवेश हो सकता है, और इससे वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ सकता है।

जिस तरह सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, निवेशकों को नियमित रूप से छोटी मात्रा में निवेश करके उनकी संपत्ति को संचित करने में मदद करता है, उसी तरह व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (सिस्टमेटिक लंपसम विदड्रॉल) (एसएलडब्ल्यू) निवेशकों को विसंचयन चरण के दौरान उनके संचित धन को व्यवस्थित रूप से निकालने की सुविधा प्रदान करता है।

इस संदर्भ में, एनपीएस के तहत व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (एसएलडब्ल्यू) की अवधारणा महत्त्वपूर्ण है।

एनपीएस के तहत एसएलडब्ल्यू

पीएफआरडीए निकास विनियमों के विनियम 3 और विनियम 4 के अनुसार, अभिदाताओं को व्यवस्थित एकमुश्त निकासी सुविधा के माध्यम से एकमुश्त राशि के चरणबद्ध आहरण का विकल्प प्रदान किया गया है। व्यवस्थित एकमुश्त निकासी उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जिसमें कोई एनपीएस अभिदाता सेवानिवृत्ति के बाद एक बार में पूरे कॉर्पस को वापस लेने के बजाय नियमित अंतराल पर अपने संचित कोष से पूर्व निर्धारित राशि निकालता है।

इस प्रकार, एसएलडब्ल्यू, अभिदाताओं को सेवानिवृत्ति के बाद नकदी प्रवाह की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियमित भुगतान प्राप्त करने की अनुमति देता है, जबकि शेष कॉर्पस की वृद्धि सुनिश्चित करता है और सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त निकासी के सन्दर्भ में वित्तीय बाजारों की अनियमितताओं से इसकी रक्षा भी करता है।

यह विधि अभिदाताओं को अपने एनपीएस खाते में शेष धनराशि को बनाए रखते हुए आवधिक भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जिससे बाजार से जुड़े रिटर्न के माध्यम से निरंतर वृद्धि की अनुमति मिलती है। व्यवस्थित निकासी दृष्टिकोण एनपीएस के व्यापक उद्देश्य के साथ संरेखित होता है, जो सेवानिवृत्ति के दौरान

एक स्थिर और स्थायी आय प्रदान करना है।

अभिदाताओं को एसएलडब्ल्यू के माध्यम से अपने पेंशन कोष का 60% तक नियत अंतराल पर अर्थात मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर निकालने की अनुमति दी गयी है।

एसएलडब्ल्यू का चयन करने के लिए उपभोक्ताओं के पास दो अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हैं :

- आयु के आधार पर एसएलडब्ल्यू - इस विकल्प में, अभिदाता अपनी उस आयु का चयन कर सकता है, जिस आयु तक एसएलडब्ल्यू सुविधा की आवश्यकता है।

- किस्त राशि के आधार पर एसएलडब्ल्यू – इस विकल्प में, अभिदाता उस राशि का चयन कर सकता है जिसे वह निर्धारित आवृत्ति के अनुसार व्यवस्थित रूप से निकालना चाहता है।

एसएलडब्ल्यू में चरणबद्ध निकासी, एनपीएस के तहत अधिकतम अनुमत आयु यानी 75 वर्ष तक की जा सकती है।

यदि अभिदाता एसएलडब्ल्यू को संशोधित/रद्द करना चाहता है तो एसएलडब्ल्यू अवधि के दौरान भी इसकी अनुमति दी जाती है।

एसएलडब्ल्यू के दौरान अभिदाता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, कॉर्पस में शेष एकमुश्त राशि का भुगतान नामिती/कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, एसएलडब्ल्यू का विकल्प चुनते समय अभिदाता या तो 75 वर्ष की आयु तक अपनी वार्षिकी को स्थगित करने का विकल्प चुन सकते हैं अथवा सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद भी इसे शुरू कर सकते हैं।

व्यावहारिक उदाहरणः व्यवस्थित एकमुश्त निकासी में ₹1 करोड़ का कोष

एक एनपीएस अभिदाता पर विचार करें जिसने सेवानिवृत्ति के समय 1 करोड़ रुपये का कोष जमा किया है। निकास विनियमों के मुताबिक, अभिदाता को कॉर्पस का 40 फीसदी (40 लाख रुपये) वार्षिकी खरीदने के लिए आवंटित करना होगा, जिससे नियमित आय मिलेगी। शेष ₹ 60 लाख का उपयोग निम्नलिखित विवरणों के अनुसार व्यवस्थित एकमुश्त निकासी के लिए किया जा सकता है -

- एसएलडब्ल्यू के लिए प्रारंभिक कॉर्पस : ₹60 लाख

- निकासी आवृत्ति : वार्षिक
- निकासी राशि : ₹6 लाख प्रति वर्ष (एसएलडब्ल्यू कॉर्पस का 10%)[1]
- शेष कॉर्पस पर प्रतिफल की अनुमानित दर : 8% प्रति वर्ष [2]

सालाना 6 लाख रुपये की पर्याप्त राशि निकालने के बाद भी, 8% पर चक्रवृद्धि रिटर्न के कारण कॉर्पस तेजी से समाप्त नहीं होता है। 10 वर्षों के बाद, 35.66 लाख रुपये की राशि कॉर्पस में शेष रहेगी यानी प्रारंभिक एसएलडब्ल्यू कॉर्पस का आधे से अधिक हिस्सा बरकरार रहेगा। इसके अलावा, यदि एसएलडब्ल्यू अवधि को 15 वर्ष के रूप में चुना जाता है, तो कॉर्पस से 90 लाख रुपये निकालने के बाद शेष राशि 14.38 लाख होगी।

सालाना ₹ 6 लाख की व्यवस्थित निकासी को वार्षिकी आय {जो लगभग ₹ 2.85 लाख (खरीद मूल्य की वापसी के साथ) से लेकर ₹ 3.40 लाख (खरीद मूल्य की वापसी के बिना) तक हो सकता है)} के साथ जोड़कर अभिदाता एक पर्याप्त और विश्वसनीय सेवानिवृत्ति आय सुनिश्चित कर सकता है[3] । यह रणनीति प्रभावी रूप से एक स्थिर वार्षिकी स्ट्रीम के साथ नियमित निकासी को संतुलित करती है, जिससे सेवानिवृत्ति के दौरान वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।

इसके अलावा, यदि अभिदाता को किसी भी समय एकमुश्त राशि की आवश्यकता होती है, तो एसएलडब्ल्यू को रद्द किया जा सकता है और शेष राशि को एक बार में निकाला जा सकता है।

व्यवस्थित एकमुश्त निकासी के लाभ :

स्थिर आय प्रवाह (स्ट्रीम) : व्यवस्थित एकमुश्त निकासी का चयन करके, अभिदाता एक नियमित आय प्रवाह (स्ट्रीम) बना सकते हैं, जो उनके वार्षिकी भुगतान को पूरित कर सकता है, यह सुनिश्चित

[1]वर्ष की शुरुआत में निकासी करना माना गया है। [2]इस गणना के लिए 8% प्रति वर्ष प्रतिफल पर विचार किया गया है, तथापि, एनपीएस के अंतर्गत प्रारंभ से ही प्रतिफल 9% से अधिक रहा है।

[3]संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्प के लिए 60 वर्ष के पति या पत्नी के साथ 60 वर्ष के अभिदाता के लिए 40 लाख रुपये के कॉर्पस के लिए वार्षिकी राशि की गणना की गई है।

करते हुए कि उनके पास पर्याप्त नियमित आय है।

निरंतर निवेश वृद्धि : कॉर्पस का वह हिस्सा जो एनपीएस खाते में निवेशित रहता है, और बाजार से जुड़े रिटर्न से लाभान्वित होता रहता है, वह संभावित रूप से समय के साथ समग्र सेवानिवृत्ति कोष को बढ़ाता है।

वित्तीय लचीलापन : व्यवस्थित निकासी एकमुश्त निकासी की तुलना में अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान करती है। अभिदाता, अपनी बदलती वित्तीय जरूरतों, जैसे चिकित्सा व्यय, यात्रा योजना या अन्य आकस्मिकताओं के आधार पर निकासी राशि और आवृत्ति को समायोजित कर सकते हैं।

व्यवस्थित निकासी आर्थिक मंदी के मामले में पुनर्निवेश जोखिम और पैनिक बिक्री को रोकती है और बुल मार्केट में लाभ प्रदान करती है।

एसएलडब्ल्यू का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य महत्त्वपूर्ण बिंदु :

एनपीएस के अंतर्गत एसएलडब्ल्यू का चयन करते समय सेवानिवृत्ति के बाद नकदी प्रवाह आवश्यकताओं का सही आकलन करना महत्त्वपूर्ण है। अधिक निकासी की वजह से कॉर्पस में कमी आ सकती है, और वह लंबी अवधि में कॉर्पस की स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। दूसरी ओर, वित्तीय जरूरतों को कम आंकने से भी वित्तीय संकट आ सकता है। ऐसे निवेश विकल्प के चयन पर भी विचार किया जाना चाहिए जो बाजार की उतार-चढ़ाव के प्रति कम प्रवण हो तथा आय में स्थिरता प्रदान करने में सक्षम हो ।

निष्कर्ष :

वृहत कॉर्पस वाले अभिदाताओं के लिए, एसएलडब्ल्यू वित्तीय स्थिरता, लचीलापन और सेवानिवृत्ति के दौरान निरंतर धन संचय की क्षमता प्रदान करता है। सावधानीपूर्वक निकासी की योजना बनाकर और बाजार की स्थितियों पर विचार करके, एनपीएस अभिदाता अपने सेवानिवृत्ति कोष को बेहतर रूप से प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद एक आरामदायक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित हो सकता है। जैसे-जैसे एनपीएस का विकास जारी है, व्यवस्थित एकमुश्त निकासी संभवतः अभिदाताओं को वित्तीय रूप से सुरक्षित सेवानिवृत्ति प्राप्त करने की दिशा में मदद करने के लिए एनपीएस की एक प्रमुख विशेषता बनी रहेगी।

सन्दर्भ :

- *व्यवस्थित एकमुश्त निकासी पर पीएफआरडीए परिपत्रः परिपत्र संख्या – PFRDA/2023/30/SUP&CRA/10 दिनांक 27 अक्टूबर 2023*
- *https%//npstrust-org-in/sites/default/files/SLW_FAQ_booklet_New-pdf*
- *https%//cra&nsdl-com/CRAOnline/aspQuote-html*

बढ़ती जीवन प्रत्याशा के दौर में पेंशन

प्रभात कुमार राय, सहायक प्रबंधक

शब्द-संकेतः जीवन प्रत्याशा, सेवानिवृत्ति प्रबन्धन, संचय, वित्तीय नियोजन, निर्भरता-अनुपात, पेंशन फंडिंग, आयकर राजस्व, स्वास्थ्य संक्रांति.

सार-संक्षेप : आज देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे लोगों की जीवन अवधि बढ़ रही है। इससे सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन भी लम्बा हुआ है। अगले बीस-पचीस वर्षों में ज्यों-ज्यों चिकित्सा प्रौद्योगिकी में सुधार होगा, लोगों की आयु अधिकतम 90 से 100 वर्ष तक होने की उम्मीद की जा रही है। उम्र में हो रही ये बढ़ोतरी पेंशन क्षेत्र के लिए भी विचारणीय है। यह बढ़ोतरी एक वैश्विक परिघटना है, इसीलिए इस बारे में अन्य देशों के अनुभव भी मायने रखते हैं। उनके अनुभव के आधार पर भारत में भी पुरुषों और महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इससे पेंशन प्रणाली में व्यावहारिकता बढ़ेगी। साथ ही, यह महिलाओं की पेंशन भागीदारी को भी बढ़ाएगा। प्रस्तुत लेख इस विषय पर एक विहंगम दृष्टि प्रदान करता है। इसमें, लोगों की बढ़ती जीवन प्रत्याशा के दौर में विकसित देशों की पेंशन प्रणाली में हो रहे बदलावों को दर्शाया गया है।

प्रस्तावना :

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार, भारत में वर्तमान जीवन प्रत्याशा (जन्म के समय) 70.42 वर्ष प्रति व्यक्ति है।[1] वर्ष 2050 तक बढ़कर इसके 75 वर्ष प्रति व्यक्ति होने की उम्मीद है। आज देश में उपलब्ध बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं से लोगों की जीवन अवधि बढ़ गई है। फलतः, सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में भी बढ़ोतरी आई है। इस प्रकार जीवन-यापन की बढ़ती लागत, उभरती महंगाई और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण सेवानिवृत्ति प्रबन्धन आज के जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुका है।

लगातार बढ़ती आबादी और जीवन प्रत्याशा के कारण पेंशन एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। अधिक से अधिक नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार अपनी पेंशन प्रणाली में लगातार सुधार ला रही है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य निवेश, रिटर्न और लाभ पर केंद्रित होता है, ताकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन अभिदाताओं को नियमित आय के तौर पर एक बेहतर राशि मिल सके। हालांकि, इस दिशा में जनसांख्यिकीय लाभांश, बढ़ती जीवन प्रत्याशा और सुदीर्घ जीवन जैसे अनेक मुद्दों को संबोधित किया जाना अभी भी बाकी है।

वर्तमान स्थिति :

अधिकांश कामकाजी भारतीय 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। अगर अलग-अलग देखें तो, 2020 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 60 वर्ष पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 77.2 वर्ष और महिलाओं की 78.6 वर्ष थी।[2] आज से सिर्फ 20 साल पहले, भारत में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 53 वर्ष थी।[3] आज यह 70

वर्ष से ज्यादा है। अगले बीस-तीस वर्षों में ज्यों-ज्यों चिकित्सा प्रौद्योगिकी में सुधार होगा, आप अधिकतम 100 (नहीं तो 90) वर्ष तक जीने की उम्मीद कर सकते हैं।[4]

पिछले कुछ दशकों से स्वास्थ्य-प्रौद्योगिकी में हो रहे इस व्यापक सुधार को "स्वास्थ्य-संक्रांति (Health Transition)" के तौर पर संबोधित किया जाता है। राइली इसका महत्त्व बताते हुए लिखते हैं कि, "स्वास्थ्य-संक्रांति से पहले, आधे से अधिक लोग वयस्कता तक पहुंचने से पहले ही काल-कवलित हो जाते थे। कुछ देशों और क्षेत्रों में तो आधे से अधिक लोग दस वर्ष की आयु तक पहुंचने से

[1] *https://www.macrotrends.net/countries/IND/india/life-expectancy*
[2] *https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1606209* [3] उपर्युक्त
[4] https://www.livemint.com/news/india/indias-life-expectancy-to-hit-82-by-2100-as-per-un-estimates-11665298822775.html

पहले ही समाप्त हो जाते थे।" (Riley, 2001, पृष्ठ 2) वरिष्ठ स्वास्थ्य चिंतक पीटर अत्तिया ने इस परिघटना को अपनी पुस्तक में वर्णित किया है कि, "आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों ने प्रत्येक बीमारी को निपटाने पर अविश्वसनीय रूप से प्रयास और संसाधन खर्च किए हैं। लेकिन हमारी प्रगति बहुत कम रही है। जहां एक ओर, हमने लगभग साठ वर्षों में मृत्यु दर में दो-तिहाई की कमी की है, तो वहीं दूसरी ओर, कैंसर से होने वाली मृत्यु दर उसके अनुसंधान पर सैकड़ों अरबों डॉलर के सार्वजनिक और निजी खर्च के बावजूद बढ़ती ही जा रही है। इसके अलावा, टाइप 2 मधुमेह अभी भी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के तौर पर बना हुआ है, तथा अल्जाइमर रोग और संबंधित न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग हमारी बढ़ती बुजुर्ग आबादी को परेशान कर रहे हैं, और जिनका कोई प्रभावी उपचार भी दिखाई नहीं दे रहा है।"(Attia, 2023, पृष्ठ 10)

भविष्य की चिंताएं :

इन सबके बीच निम्नलिखित चिंताएं लगातार गहरी हो रही हैं –

(क) कामकाजी जीवन में कमी – पहले की पीढ़ियों के लोग 20 या 21 साल की उम्र में स्नातक होने के तुरंत बाद नौकरी में शामिल हो जाते थे, लेकिन आज उच्च शिक्षा की मांग बढ़ी है। इसका मतलब है कि अब कामकाजी जीवन के शुरुआत की उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक है। साथ ही, संचय और समृद्धि की वजह से आज की पीढ़ी जल्दी रिटायर होने का सपना देखती है। हालाँकि, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, काम का भारी दबाव और आर्थिक निर्भरता जैसे कारणों से भी कुछ व्यक्ति जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। चर्चित सलाहकार और आउटलुक एशिया कैपिटल के सीईओ, मनोज नागपाल इस बारे में चेतावनी देते हैं, ''जल्दी सेवानिवृत्ति लेने के कारण कामकाजी जीवन सिकुड़ रहा है। दरअसल, इसमें महत्त्वाकांक्षाओं और मजबूरियों, इन दोनों का समान रूप से प्रभाव पड़ा है।''[5] चूंकि कामकाजी जीवन के छोटा होने का मतलब है – लंबा सेवानिवृत्त जीवन, इसलिए आजकल सावधानीपूर्वक वित्तीय नियोजन की आवश्यकता और भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो गयी है।

(ख) पारिवारिक सुरक्षा पेटी (बेल्ट) का अभाव – आज संयुक्त परिवार लुप्त होने की कगार पर हैं, अतः ऐसे लोग जो अगले दस-पंद्रह वर्षों में सेवानिवृत्त होंगे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। इसी सन्दर्भ में, क्रिसिल के वरिष्ठ निदेशक, फंड और फिक्स्ड इनकम रिसर्च, विद्याधरन कहते हैं कि, ''पारंपरिक पारिवारिक जाल सिकुड़ रहा है। बच्चे भविष्य में अपने माता-पिता की देखभाल नहीं कर सकते।'' नागपाल भी इससे सहमत हैं कि, ''भारत में माता-पिता के साथ जुड़ाव दूसरे देशों की तुलना में अभी भी अधिक है, लेकिन उसकी गहराई कम हो रही है। इसलिए अगली पीढ़ी को अपना ख्याल रखना होगा।''[6] भले ही अगली पीढ़ी माता-पिता की देखभाल करने को तैयार हो, लेकिन उन पर बोझ बहुत अधिक होगा। NFHS (2019-21) के आंकड़े यह स्पष्ट दर्शाते हैं कि, परिवारों में संकुचन और जन्मदर में कमी होने के कारण भारतीय परिवारों का आकार सिमट रहा है; और सम्भावना बहुत प्रबल है कि अगले कुछ दशकों बाद भारतीय वृद्धों को अपना भरण-पोषण और जीवन-यापन अकेले ही करना पड़े।[7]

(ग) वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात में वृद्धि – एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात में भारी उछाल देखा जाएगा।[8] केरल, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में अगले दशक तक यह 15-59 आयु वर्ग में प्रति 1,000 पर 60 से अधिक हो जाएगा।[9]

(घ) सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन-यापन की लागत में वृद्धि – आज के समय में 30 साल के व्यक्ति के लिए 3 लाख रुपये का वार्षिक खर्च उसकी आयु 90 वर्ष होने तक बढ़कर लगभग 2 करोड़ रुपये हो सकता है।[10]

वस्तुतः,पेंशन और रिटायरमेंट पर नीतियां बनाते समय उक्त बिन्दुओं पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय लोगों की जीवन प्रत्याशा लगातार बढ़ रही है। अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर भारत में भी पुरुषों और महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इससे पेंशन प्रणाली में व्यावहारिकता बढ़ेगी। साथ ही, यह महिलाओं की पेंशन-भागीदारी को भी बढ़ाएगा।

वैश्विक समाधान :

आज बढ़ती हुई वृद्ध जनसंख्या और उसके फलस्वरूप पेंशन फंडिंग पर बढ़ते सरकारी दबाव के कारण बहुत से देशों ने पेंशन योग्य रिटायरमेंट उम्र को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों ने तो रिटायरमेंट की आयु को बढ़ा दिया है। कुछ देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूके में महिलाएँ पुरुषों से जल्दी सेवानिवृत्त हो जाती हैं, लेकिन अब दोनों के रिटायरमेंट की उम्र

[5] https://economictimes.indiatimes.com/wealth/plan/higher-life-expectancy-shorter-work-spans-mean-a-longer-retirement-period-get-financially-ready/articleshow/58655210.cms?from=mdr [6] https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR375/FR375.pdf [8] https://mospi.gov.in/sites/default/files/ publication_reports/Elderly%20in%20India%202021.pdf [9] https://theprint.in/india/imminent-end-of-demographic-dividend-share-of-indias-working-age-population-set-to-fall-by-2036/1451773/ [10] https://timesofindia.indiatimes.com/ readersblog/ 2023 postworldwide/the-rising-cost-of-living-and-its-impact-on-peoples-wallets-54955/

बराबर करने के लिए इन देशों में सेवानिवृत्ति नियमों को बदला गया है।

कई विकसित देशों, जैसे कनाडा, जर्मनी, यू.के. और अमेरिका ने प्री-सेट टाइमलाइन के अनुसार रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाते रहने के संकेत दिए हैं। यूके सरकार भी रिटायरमेंट उम्र को 2026-28 में 67 वर्ष और 2044-46 में 68 वर्ष करने की योजना बना रही है। कुछ विकसित देशों की सेवानिवृत्ति सुधारों पर दृष्टि डाली जा सकती है –

देश	सेवानिवृत्ति नियमों में सुधार
जर्मनी [11]	आगामी 2031 तक सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी।
अमेरिका [12]	1960 के बाद पैदा हुए व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष कर दी जाएगी।
यूके [13]	2026-28 के बीच सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष और 2044-46 के दौरान 68 वर्ष करने की योजना है।
जापान [14]	सेवानिवृत्ति आयु को 70 वर्ष तक बढ़ाया जाना विचाराधीन है। (कॉर्पोरेट में 65 वर्ष)
फ्रांस [15]	2030 तक दो वर्ष बढ़ाकर 64 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

निष्कर्ष :

सरकार द्वारा जारी अनेक दस्तावेजों में यह स्पष्ट कहा गया है कि आने वाले दो दशकों में देश की जनसंख्या वृद्धि दर में काफी गिरावट होगी।[16] जनसंख्या वृद्धि दर 2021-31 के दौरान एक प्रतिशत से कम और 2031-41 के दौरान 0.5 प्रतिशत से नीचे रहेगी। समीक्षा के अनुसार, पूरे देश में युवा आबादी बढ़ेगी, लेकिन कुछ राज्य वर्ष 2030 तक अपने वृद्धावस्था की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। जनसंख्या में 0-19 वर्ष वाले आयु वर्ग के युवाओं की संख्या वर्ष 2011 के उच्चतम स्तर 41 प्रतिशत से घटकर 2041 में 25 प्रतिशत रह जाएगी।[17]

दूसरी ओर आबादी में 60 वर्ष आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या 2011 के 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 2041 तक 16 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी। कामकाजी आबादी वर्ष 2021-31 के बीच 97 लाख प्रति वर्ष की दर से और वर्ष 2031-41 के बीच 42 लाख प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगी।

अगले दो दशकों में देश में जनसंख्या और लोगों की आयु संरचना के पूर्वानुमान से नीति-निर्धारकों के सामने स्वास्थ्य सेवा, वृद्धों की देखभाल, स्कूल सुविधाओं, सेवानिवृत्ति से जुड़ी वित्तीय सेवाओं, पेंशन राशि, आयकर राजस्व, श्रम बल, श्रमिकों की हिस्सेदारी की दर और सेवानिवृत्ति की आयु से जुड़े मुद्दों पर नीतियां बनाना एक बड़ा काम होगा। पेंशन योजनाकारों को इस बारे में अत्यधिक सजग, सतर्क और सक्रिय रहना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ (प्रकाशन वर्ष के क्रम से) :

रिले, जेम्स सी. बढ़ती जीवन प्रत्याशा: एक वैश्विक इतिहास। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस. यूके, 2001. (ISBN0521002818). https://books.google.co.in/books?id=4Ng2Y7eJ7A0C&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

सिंक्लेयर, डेविड ए. जीवनकाल: हमारी उम्र क्यों बढ़ती है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है। अटरिया पुस्तकें। नई दिल्ली, 2019. (e&book ISBN 9781501191992)

अटिया, पीटर. आउटलिव: दीर्घायु का विज्ञान और कला। हार्मनी बुक्स – पेंगुइन रैंडम हाउस। न्यूयॉर्क, 2023 (e&book ISBN 9780593236604)

[11] https://www.thelocal.de/20230127/how-does-germanys-retirement-age-compare-to-the-rest-of-europe#:~:text=Currently%20at%2065%2C%20but%20set,the%20retirement%20age%20to%2070. [12] https://edition.cnn.com/2023/03/19/politics/retirement-age-social-security-medicare/index.html [13] https://www.gov.uk/government/publications/state-pension-age-review-2023-government-report/state-pension-age-review-2023#:~:text=As%20a%20result%20of%20the,68%20between%202044%20and%202046. [14] https://asia.nikkei.com/Spotlight/Work/Corporate-Japan-sweetens-incentives-to-retain-workers-60-and-over [15] https://www.bbc.com/news/world-europe-64229379 [16] https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1894970 [17] https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/Statistical-Appendix-in-Hindi.pdf

एनपीएस– एक संक्षिप्त समीक्षा

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) – एक ''अभिनव'' सुधार की यात्रा

प्रवेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

1. ''आज की बचत, कल की जरूरत'' – पेंशनः

कामकाजी उम्र बीतने के बाद, एक गरिमामय और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, उस समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय योजना और बचत उपलब्ध होनी चाहिए। इस दिशा में, ''सामाजिक सुरक्षा'' एक व्यापक पहल है, जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों का कल्याण और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह आर्थिक और सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं से संबोधित है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के पास एक सम्मानजनक और गौरवपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों और समर्थन प्रणालियों तक पहुंच उपलब्ध हो।

सामाजिक सुरक्षा, लागत प्रभावी पद्धति से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बुनियादी ढांचे आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं से शुरू होती है। वित्तीय सुरक्षा भी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एवं गरिमा और गर्व की भावना प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा के घटकों में से एक महत्वपूर्ण घटक, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ है जो यहं सुनिश्चित करता है कि बुजुर्ग आबादी को सेवानिवृत्ति के बाद या 60 वर्ष की आयु के बाद, उनकी स्तिथि के अनुसार पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

जब हम वित्तीय संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसका बुजुर्ग आबादी के साथ सीधा संबंध होता है द्य पेंशन उन उत्पादों में से सबसे प्रमुख है जो कामकाजी आयु के बाद भी सम्मान और गरिमा की भावना प्रदान करता है। पेंशन स्वतंत्रता और खुशी की भावना देता है जब कोई कमाने में सक्षम नहीं होता है। यह कामकाजी जीवन और उसके बाद के लिए एक पुरस्कार स्वरुप भी है।

यहाँ कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं, जो सेवानिवृत्ति और पेंशन के साथ प्रतिध्वनित होते हैं:

''सेवानिवृत्ति आपके जीवन का यह एकमात्र समय है जब समय और पैसे में बराबरी नहीं होती।"

''सेवानिवृत्ति अद्भुत है यदि आपके पास दो आवश्यक चीजें हैं – जीने के लिए कुछ और उसके के लिए बहुत कुछ।"

पेंशन की आवश्यकता क्यों है–

- दीर्घजीवन/जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है।
- जीवन यापन की बढ़ती लागत।
- बुजुर्ग आबादी में वृद्धि।
- केंद्र और राज्य सरकारों की पेंशन देनदारियों में वृद्धिः इसलिए, सेवानिवृत्ति के समय पर्याप्त पेंशन पाने के लिए नियमित और निरंतर बचत की आवश्यकता होती है।

2. पेंशन के स्तंभः

अधिकांश देशों में मुख्यतः दो प्रकार की पेंशन योजनाएं चल रही हैं। पहला परिभाषित पेंशन योजना (डीबी) है जहां पेंशन भुगतान पूर्व-परिभाषित है (जैसे पुरानी पेंशन योजना – ओपीएस) और यह "पे एस यू गो" अवधारणा का पालन करता है। परिभाषित लाभ योजना में, नियोक्ता अपने कर्मचारी को मासिक भुगतान का वादा करता है जो कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शुरू होता है और मासिक भुगतान कर्मचारी के अंतिम वेतन (भारतीय संदर्भ में) पर निर्भर करता है।

पेंशन का दूसरा रूप परिभाषित अंशदान योगदान पेंशन योजना (डीसी) है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के पेंशन खाते में अंश करते हैं। इसके तहत व्यक्तिगत या स्वरोजगार करने वाले भी अपनी पेंशन के लिए अंशदान कर सकते हैं।

इस सन्दर्भ में विश्व बैंक ने एक ढांचा तैयार किया है जहां ऐसी योजनाओं को पांच स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्नानुसार है :

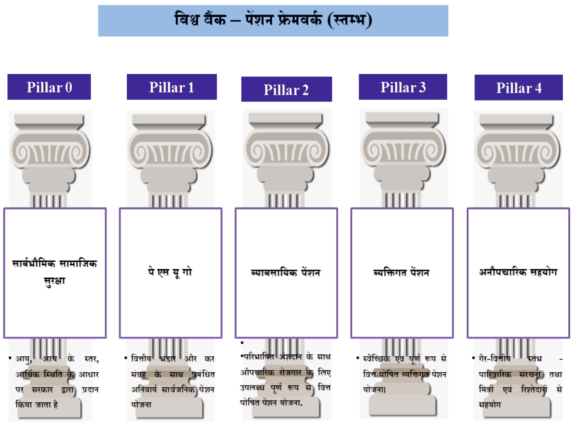

3. भारत में पेंशन का परिदृश्य :

भारत में, सरकार, विनियामक, नियोक्ता आदि जैसी विभिन्न संस्थाएं विभिन्न पेंशन योजनाओं को प्रदान करती हैं और उनका विनियमन और निगरानी करती हैं। ये सारांश सारांश रूप में निम्नलिखित है:

यहाँ कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं, जो सेवानिवृत्ति और पेंशन के साथ प्रतिध्वनित होते हैं:

''सेवानिवृत्ति आपके जीवन का यह एकमात्र समय है जब समय और पैसे में बराबरी नहीं होती।"

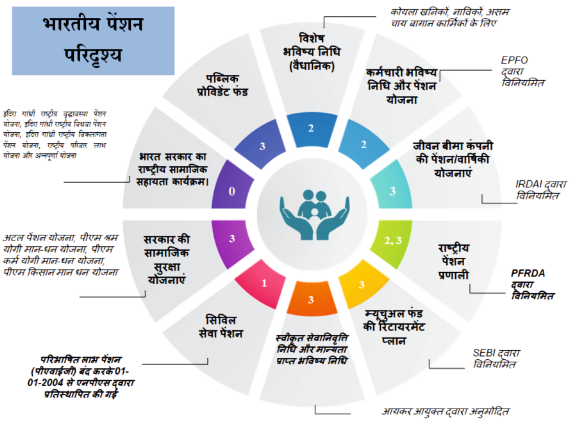

4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए):

केन्द्रीय बजट 2003-04 परिभाषित अंशदान से युक्त एक नयी स्कीम की घोषणा की गई थी। 22 अगस्त 2003 को, भारत सरकार ने नए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए परिभाषित योगदान पेंशन योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ में अंतरिम पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।

10 अक्तूबर, 2003 को वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा पेंशन विनियामक के रूप में अंतरिम पीएफआरडीए का गठन करते हुए अधिसूचना जारी की गई थी। स्थायी समिति में विचार-विमर्श के बाद, 01 फरवरी 2014 को, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया गया था।

पीएफआरडीए एनपीएस और एपीवाई (अटल पेंशन योजना) के संवर्धन और विकास के लिए कई पहल कर रहा है। पेंशन उद्योग के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ओर यह औपचारिक और अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र सहित हमारी वृद्ध जनसंख्या की एक विशाल समूह को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करता है और दूसरी ओर, दीर्घकालिक बचत के रूप में संसाधनों को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करता है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। इसके अलावा, एक विकसित पेंशन क्षेत्र न केवल राजकोष पर राजकोषीय बोझ को कम करता है, बल्कि दीर्घकालिक निवेशों के साथ दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था पर एक स्थिर प्रभाव भी डालता है।

5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS):

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जिसे शुरू में नई पेंशन योजना का नाम दिया गया था, एक अंशदायी पेंशन योजना है और यह बेहतरीन और सबसे साहसिक वित्तीय सुधारों में से एक है। यह विभिन्न स्तरों पर अच्छी तरह से शोध और विस्तृत विचार-विमर्श का परिणाम है। केन्द्र और राज्यों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) सहित सभी सरकारी कर्मचारी इस अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं।

क). अंशदायी पेंशन प्रणाली के लिए कार्य की शुरुआत:

भारत में पेंशन सुधार पर काम 1998 में शुरू हुआ, भारत सरकार ने पेंशन सुधारों पर अपनी रिपोर्ट का अध्ययन करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए OASIS समिति (वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा परियोजना) का गठन किया। जनवरी 2000 में, OASIS समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उक्त रिपोर्ट में सकल घरेलू उत्पाद पर पेंशन के बढ़ते बोझ को उजागर किया गया।

सरकार ने भारत सरकार के पेंशनभोगियों के दायित्व के आकलन के लिए एक कार्य समूह का भी गठन किया। वर्ष 2001 की बजट घोषणा में, एक नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए एक रोड मैप की घोषणा की गई थी। इसके अतिरिक्त, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा एनपीएस पर एक उच्च स्तरीय कार्य समूह (एचएलईजी) का गठन श्री बीके भट्टाचार्य, पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया था।

फरवरी 2003 में, एचएलईजी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अप्रैल, 2003 में मंत्रियों के समूह ने पेंशन सुधारों पर अपनी बैठक आयोजित की।

ख). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का शुभारंभ:

केन्द्रीय बजट 2003-04 में एक नई परिभाषित अंशदान स्कीम की घोषणा की गई थी। दिनांक 22 अगस्त 2003 को, भारत सरकार ने नए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए एक नई परिभाषित योगदान पेंशन योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

22 दिसंबर 2003 को, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की तत्कालीन मौजूदा प्रणाली को परिभाषित दान प्रणाली के साथ बदलने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी, जो 01 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में सभी नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए अनिवार्य थी। इस अंशदायी योजना को नई पेंशन योजना (एनपीएस) कहा जाता था जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस की शुरुआत और बढ़ी हुई पेंशन देनदारियों का विश्लेषण करने के बाद, कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को विभिन्न तारीखों पर अधिसूचित किया है।

एनपीएस एक पूरी तरह से नई योजना है जहां नियोक्ता और कर्मचारी दोनों एक पूल (कर्मचारी के नाम पर) में अंशदान दे रहे हैं, जिसका उपयोग कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय (वार्षिकी के माध्यम से पेंशन) प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यह योजना ''आज की बचत, कल की जरूरत'' के उद्देश्य पर आधारित है।

एनपीएस की शुरुआत से पहले, सरकारें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का पालन कर रही थीं जो "पे एज यू गो" अवधारणा (परिभाषित लाभ-डीबी) पर आधारित थी और सरकारों को वर्तमान आय से प्रावधान करना होता था। यह कई बार देखा गया है कि बजट अनुमान (बीई) से वास्तविक व्यय तक बड़े अंतर थे क्योंकि वर्तमान में, डीबी देनदारियां 100% अनफंडेड हैं और चालू वर्ष की आय से भुगतान की जाती हैं। इस तरह के अंतराल को भरने के लिए, सरकारों को या तो अन्य विकासात्मक गतिविधियों के बजट में कटौती करनी होगी या बाजार से उधार लेना होगा।

इसके विपरीत सरकार, एनपीएस के तहत, सरकारी कर्मचारी की सक्रिय सेवा के दौरान धन देती है और सह-योगदान देनदारियों को सटीक रूप से प्रोजेक्ट करती है। सरकार पेंशन भुगतान पर भी पर्याप्त बचत करती है क्योंकि सक्रिय सेवा जीवन के दौरान किए गए सह-योगदान, योजना के माध्यम से उत्पन्न रिटर्न के अनुसार बढ़ेंगे और लंबी अवधि में कंपाउंडिंग प्रभाव के माध्यम से भी बढ़ेंगे।

एनपीएस के तहत, कंपाउंडिंग अवधारणा (कारकों में से एक) अंतिम भुगतान निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीचे दिए गए ग्राफ में इसे दर्शाया गया है। यदि हम ग्राफ को करीब से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि कंपाउंडिंग का वास्तविक प्रभाव केवल निवेश के 13-15 वर्षो के बाद शुरू होता है। (निम्नलिखित चार्ट देखें)

कर्मचारी की 35 वर्षों की सेवा के दौरान योगदान और कॉर्पस (AUM) में वृद्धि

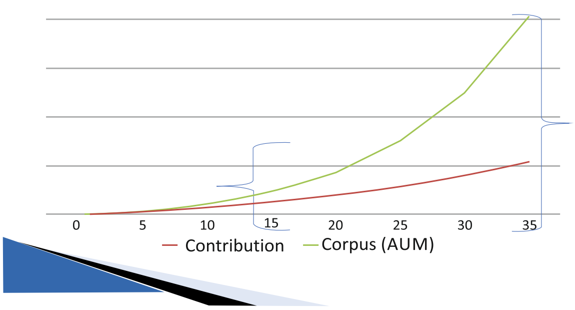

मई 2009 में, एनपीएस को जो शुरू में सरकारी कर्मचारियों के लिए था, अब भारत के सभी नागरिकों के लिए बढ़ा दिया गया था। एनपीएस के तहत एनपीएस लाइट, स्वावलंबन आदि जैसी विभिन्न सुधारात्मक योजनाएं असंगठित क्षेत्र और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शुरू की गई थीं, जिनका उद्देश्य वृद्धावस्था के लिए सामाजिक सुरक्षा/पेंशन प्रदान करना था। 2015 में, भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) भी शुरू की गई थी।

राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस कार्यान्वयन के लिए अधिसूचनाओं की तिथियां:

क्र.सं.	राज्य सरकार	अधिसूचना की तिथि	लागू करने की तारीख
1.	आंध्र प्रदेश	09/22/2004	09/01/2004
2.	अरुणाचल प्रदेश	11/17/2007	01/01/2008
3.	असम	01/25/2005	02/01/2005
4.	बिहार	08/31/2005	09/01/2005
5.	छत्तीसगढ़	10/27/2004	11/01/2004
6.	गोवा	05/08/2005	08/05/2005
7.	गुजरात	03/18/2005	04/01/2005
8.	हरियाणा	08/18/2008	01/01/2006
9.	हिमाचल प्रदेश	08/17/2006	05/15/2003
10.	जम्मू और कश्मीर	12/24/2009	01/01/2010
11.	झारखंड	12/09/2004	12/01/2004
12.	कर्नाटक	03/31/2006	04/01/2006
13.	केरल	01/07/2013	04/01/2013
14.	मध्य प्रदेश	04/13/2005	01/01/2005
15.	महाराष्ट्र	10/31/2005	11/01/2005
16.	मणिपुर	12/31/2004	01/01/2005
17.	मेघालय	03/24/2010	04/01/2010
18.	मिजोरम	06/17/2010	09/01/2010
19.	नागालैंड	01/28/2010	01/01/2010
20.	ओडिशा	09/17/2005	01/01/2005
21.	पंजाब	03/02/2004	01/01/2004
22.	राजस्थान	01/28/2004	01/01/2004
23.	सिक्किम	05/18/2006	04/01/2006
24.	तेलंगाना	09/06/2004	09/01/2004
25.	उत्तराखंड	10/25/2005	10/01/2005
26.	उत्तर प्रदेश	03/28/2005	04/01/2005
27.	तमिलनाडु	08/06/2003	04/01/2003
28.	त्रिपुरा	13/07/2018	01/07/2018
29.	पश्चिम बंगाल	नहीं	------

ग). एनपीएस के तहत मध्यवर्ती:

एनपीएस संरचना के तहत निम्नलिखित हितधारक हैं:

एनपीएस के अंतर्गत हितधारक

- PFRDA- एनपीएस सहित पेंशन क्षेत्र का विनियामक
- NPS Trust- अभिदाताओं की ओर से धन का लाभकारी स्वामी
- Points-of Presence (POPs)- अभिदाताओं के लिए संपर्क बिंदु
- Aggregator – अभिदाताओं के लिए संपर्क बिंदु
- Trustee Bank- न्यास के खाते का प्रबंधक
- Pension Fund (PFs)- अभिदाताओं के फंड का निवेश करता है
- Custodian- प्रतिभूतियों का अभिरक्षक
- Central Recordkeeping Agency (CRA) – अभिदाताओं के खाते की रिकॉर्डकीपिंग और रखरखाव के लिए
- Annuity Service Provider (ASP)- अभिदाताओं को वार्षिकी प्रदान करता है
- Retirement Adviser- परामर्शदाता सेवाएं

घ). एनपीएस की प्रगति यात्राः

एनपीएस की प्रगति निम्नानुसार हैः

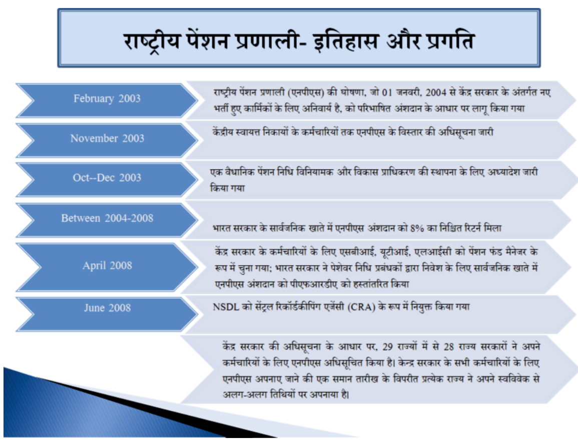

घ). एनपीएस के तहत सेगमेंटः

एनपीएस संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार/योजनाएं उपलब्ध हैंः

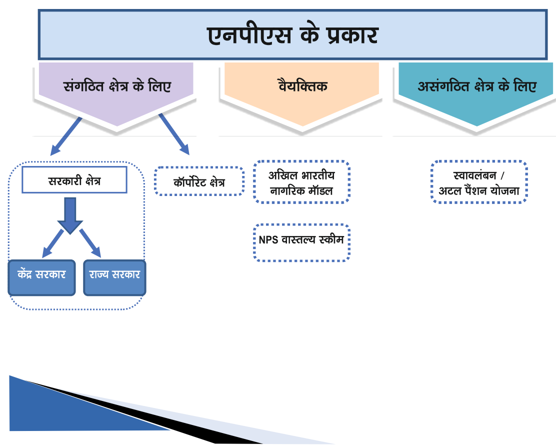

ड). एनपीएस के तहत वृद्धि और नयी ऊँचाई :

बहुत ही कम समय में, एनपीएस ने न केवल एनपीएस में शामिल होने वाले अभिदाताओं के संदर्भ में बल्कि एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) के संदर्भ में भी बहुत ही अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। हाल ही में एनपीएस के तहत एयूएम को 13 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गयी है। इनका खंडवार विवरण नीचे दिया गया है:

दिनांक 13/09/2024 राशि करोड़ में

क्षेत्र	सदस्यों की संख्या	निवेशकी गई राशि	एयूएम (AUM)
केंद्र सरकार	23,69,793	1,79,999.51	3,02,059.20
कैब (CAB)	2,97,738	36,573.71	55,305.44
राज्य सरकार	56,97,618	3,77,259.46	5,60,377.14
सैब (SAB)	10,43,249	72,038.52	93,158.34
कॉर्पोरेट	21,15,276	1,35,984.06	1,96,904.71
सर्व नागरिक	37,89,308	45,647.01	68,591.45
एनपीएस लाइट	33,41,731	2,674.83	5,919.83
एपीवाई	5,90,80,286	29,907.84	40,513.16
एपीवाई फंड योजना	-	813	939.56
कुल	7,77,34,999	8,80,897.94	13,23,768.83

6. एनपीएस -नियोक्ता, कर्मचारी और अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए एक माध्यम - : एनपीएस के माध्यम से प्राप्त किए जा सकने वाले संभावित लाभों का सारांश निम्नलिखित है:

क. नियोक्ता (सरकार) को लाभ:

- पेंशन देनदारियों का सटीक प्रक्षेपण और प्रबंधन।
- पेंशन देनदारियों को निधि देने के लिए उधार और ब्याज भुगतान कम हो जाएगा।
- देनदारियों के बोझ को कम करना और अन्य विकास कार्यो के लिए धन को मुक्त करना।
- कर्मचारियों को उच्च वेतन जिससे सेवा अवधि के दौरान कर्तव्यपरायणता और नैतिकता को बढ़ावा मिलेगा।
- कम पेंशन देनदारियों के कारण नए रोजगार का सृजन।
- कम पेंशन देनदारियों के माध्यम से ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, चिकित्सा आदि जैसे अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान और प्रबंधन।
- उधार लेने की लागत कम हो जाएगी।
- देश की सॉवरेन (संप्रभ) रेटिंग में सुधार होगा।
- अन्य सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की उपलब्धता।

ख. कर्मचारियों को लाभ:

- जीवन के शुरुआती चरण में बचत की आदतों को बढ़ावा।
- ग्राहकों के बचत प्रतिशत में वृद्धि करना।
- वित्तीय बाजारों की स्थिरता के कारण निवेश पर बेहतर रिटर्न।
- जीवन स्तर में वृद्धि और बुढ़ापे में निर्भरता में कमी।
- भविष्य में वेतन वृद्धि, इसके संशोधन और पेंशन भुगतान के बारे में चिंता से मुक्ति ।
- लंबी अवधि के लिए सह-अंशदान और मुद्रास्फीति के लिए मुआवजा।
- परिवार के सदस्यों को कॉर्पस की वापसी के साथ उच्च एकमुश्त राशि और उच्च वार्षिकी।

ग. अर्थव्यवस्था को लाभः समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं:

1. सभी बाजारों (सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड, इक्विटी, मुद्रा) में स्थिरता प्रदान की जा सकती है। वर्तमान में, हमारे बाजार सुभेद्य हैं और विदेशी प्रवाह/बहिर्वाह पर निर्भर हैं। NPS कॉर्पस स्थिरता प्रदान करेगा और विदेशी प्रवाह पर निर्भरता को कम करेगा।
2. विभिन्न बाजार के फाइनेंसियल एसेट के लिए बेहतर मूल्य की खोज में मदद करना।
3. बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को कम करने में मदद करना।
4. अल्पकालिक और दीर्घकालिक निवेश दोनों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना।
5. सभी क्षेत्रों में मांग पैदा करके समग्र आर्थिक विकास।

6. राजस्व सृजन के लिए एक या कुछ क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना। यह सरकार को कर के लिए नयी सीमा प्रदान करेगा।

7. जीवन के शुरुआती चरण में बचत की आदतों को बढ़ाने और बचत दर को बढ़ाने में मदद करेगा जो दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

8. अधिक बचत से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।

9. ब्याज के बोझ को कम करना और अन्य सामाजिक योजनाओं के लिए धन मोचित करना।

10. अधिक कर संग्रह।

11. बैंकों को ऋण सम्बन्धी गतिविधियों के लिए सस्ती दर पर धन मिलेगा।

उक्त व्याख्या का चित्रमय प्रदर्शन:

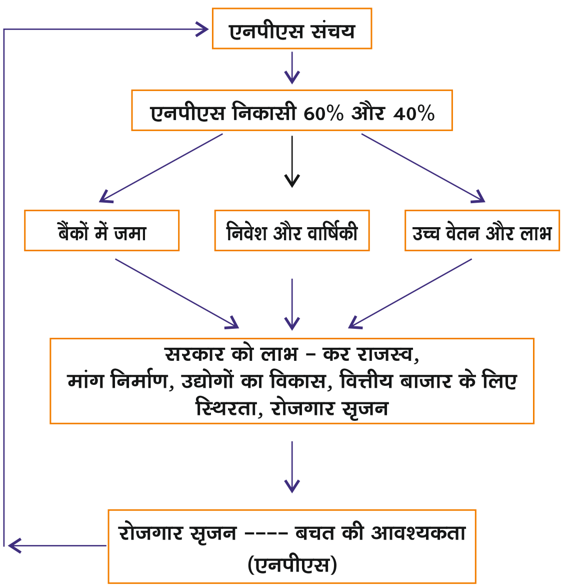

7. निष्कर्ष :

चूंकि दीर्घायु जीवन बढ़ रहा है, इसलिए अगले 40-50 वर्षों के लिए पेंशन देनदारियों को पूरा करने के तरीकों पर विचार करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) राजकोष पर अधिक बोझ डाले बिना ऐसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक आदर्श उत्पाद है। एनपीएस अपने सभी हितधारकों यानी कर्मचारी, सरकार (नियोक्ता) और अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए एक मजबूत स्तंभ है। इसलिए, हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाने और एनपीएस को मजबूत करने के लिए सभी को एक साथ आना होगा। यह न केवल सेवारत कर्मचारियों के जीवन स्तर को बढ़ाएगा बल्कि सेवानिवृत्ति अवधि के दौरान उनके भविष्य को भी सुरक्षित करेगा।

आँकड़े

शब्द कोष

All Citizen	अल सिटिजन मॉडल
APY	अटल पेंशन योजना
CG	केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त संस्थान
Corporate	एनपीएस कॉरपोरेट मॉडल
Corporate Bond	कॉरपोरेट बॉन्ड
Equity	इक्विटी निवेश
G-Sec	सरकारी प्रतिभूतियाँ और संबंधित निवेश
NCA (Non current assets)	नकद, अर्जित ब्याज, प्राप्यध्देय
NPS Lite	एनपीएस लाइट स्कीम
ReIT & InvIT	सेबी (SEBI) विनियमित रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
SG	राज्य सरकार और स्वायत्त संस्थान
Short Term Investment	अल्पावधि ऋण लिखत और संबंधित निवेश
Tier II	टियर II अकाउंट
TTS	टियर II टैक्स सेवर स्कीम
ROP	खरीद मूल्य की वापसी (आरओपी)

वार्षिकी विकल्प/ Anniuty Schemes

Option A	जीवन भर के लिए वार्षिकी वित/ Annuity for life life with ROP
Option B	आरओपी के साथ जीवन भर के लिए वार्षिकी/ Annuity for life with ROP
OptionC	संयुक्त जीवन वार्षिकी/ Joint Life Annuity
Option D	आरओपी के साथ संयुक्त जीवन वार्षिकी/ Joint Life Annuity with ROP
Option E	एनपीएस पारिवारिक आय विकल्प/ NPS & Family Income Option
Option F	भागों में प्रीमियम/खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी/ Life Annuity with Return of Premium/Purchase Price in parts
Option G	गंभीर बीमारी के निदान पर प्रीमियम/खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी/Life Annuity with Return of Premium/Purchase Price on diagnosis of Critical Illness
Others	वार्षिकी योजना विकल्प ''अन्य'' में पांच मानक वार्षिकी योजनाओं के अलावा एएसपी द्वारा प्रस्तावित वार्षिकी योजनाएं शामिल हैं I/Annuity Scheme Option "Others" includes annuity schemes offered by ASPs other than five standard annuity schemes.

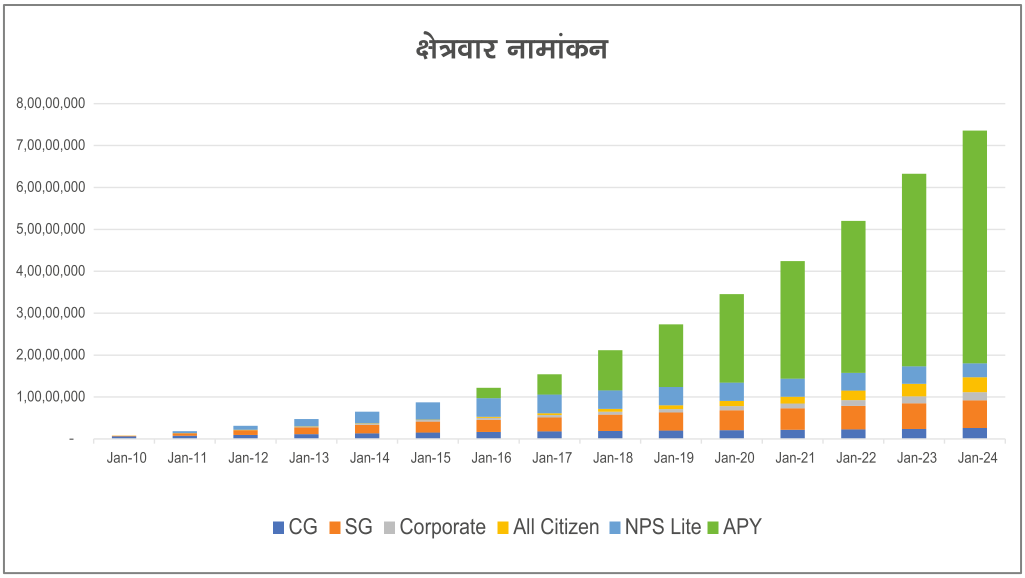
क्षेत्रवार नामांकन
8,00,00,000
7,00,00,000
6,00,00,000
5,00,00,000
4,00,00,000
3,00,00,000
2,00,00,000
1,00,00,000
-
Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22 Jan-23 Jan-24
CG SG Corporate All Citizen NPS Lite APY

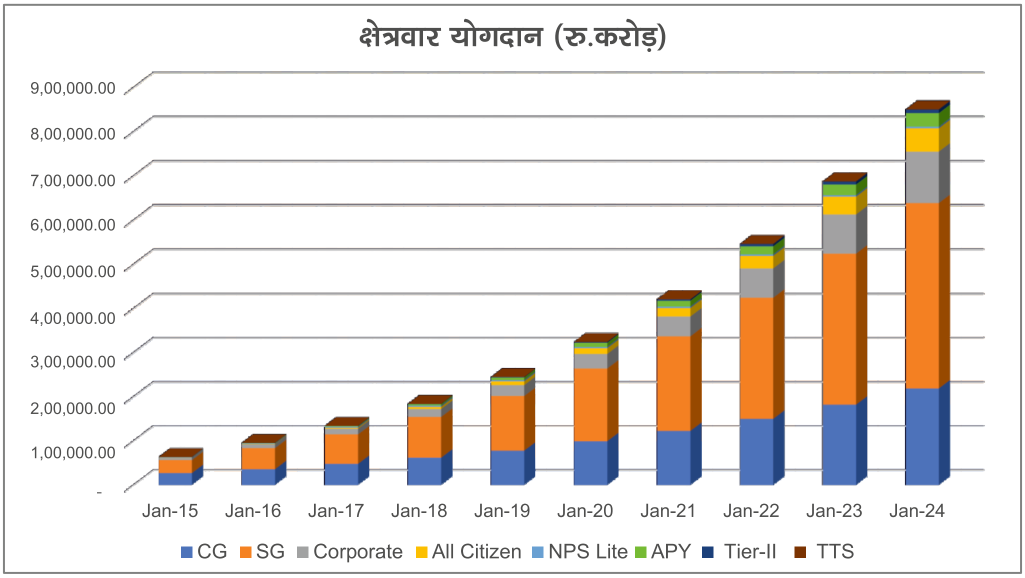
क्षेत्रवार योगदान (रु.करोड़)
9,00,000.00
8,00,000.00
7,00,000.00
6,00,000.00
5,00,000.00
4,00,000.00
3,00,000.00
2,00,000.00
1,00,000.00
-
Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22 Jan-23 Jan-24
CG SG Corporate All Citizen NPS Lite APY Tier-II TTS

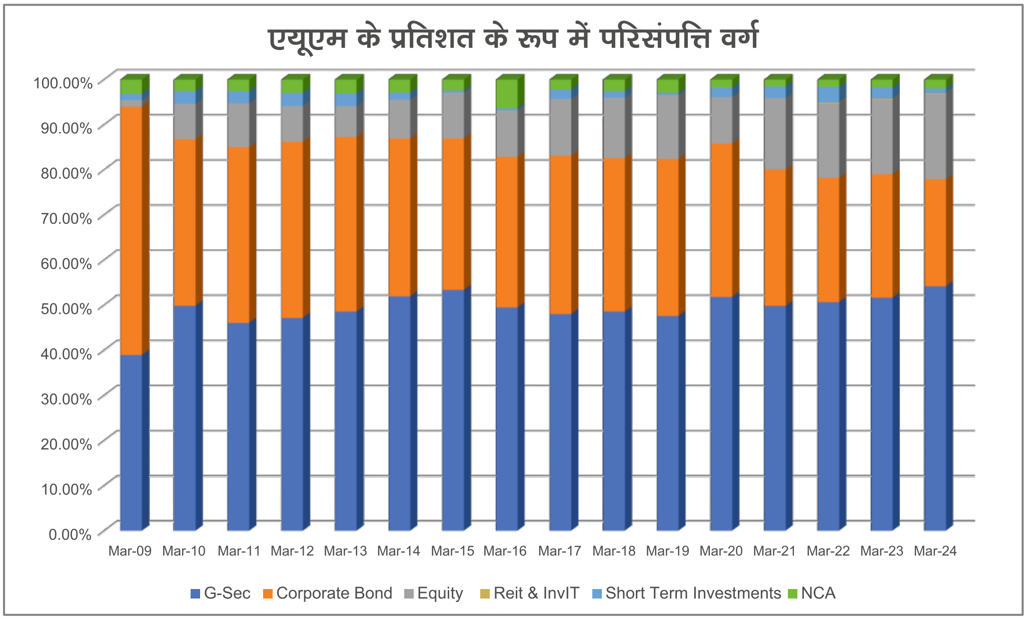

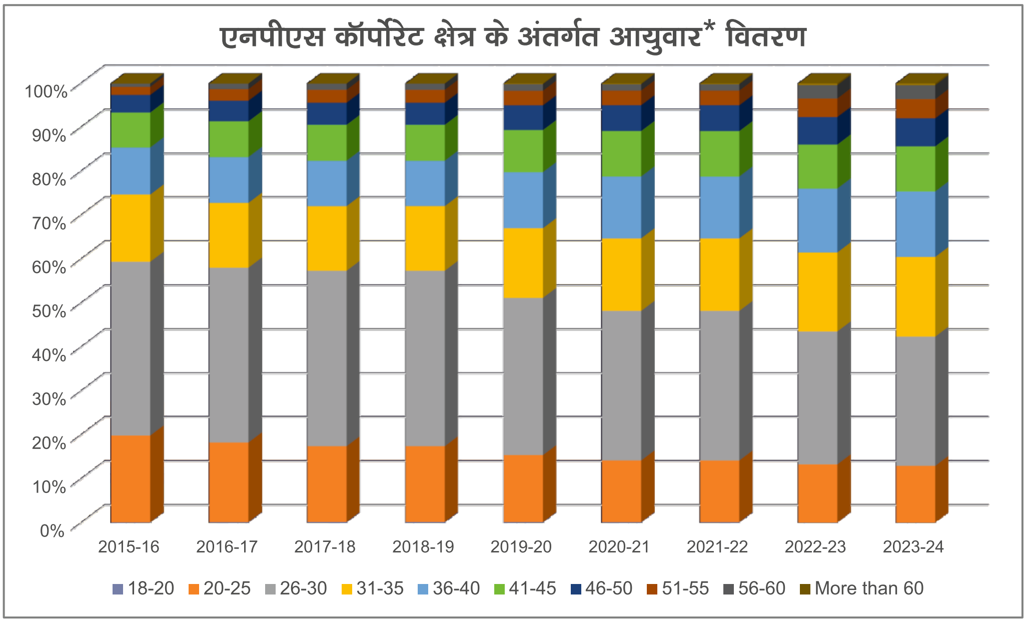

* अकाउंट खोलते समय उम्र

एनपीएस कॉर्पोरेट क्षेत्र के तहत लिंगवार नामांकन

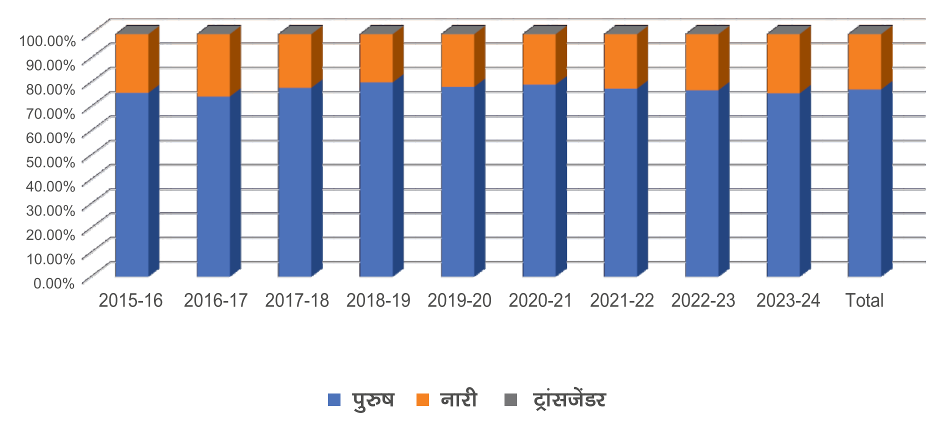

ऑल सिटीजन क्षेत्र के अंतर्गत आयुवार* नामांकन

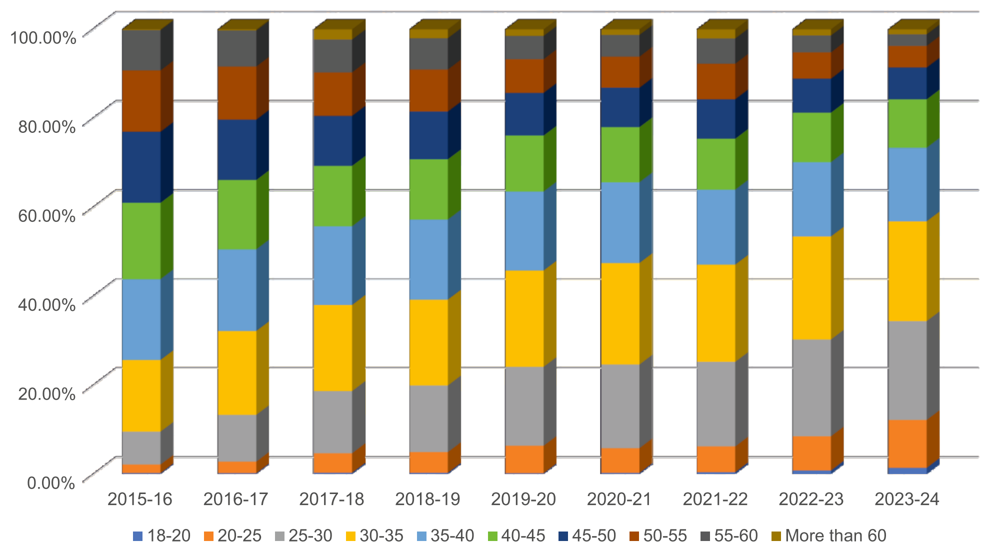

* अकाउंट खोलते समय उम्र

ऑल सिटीजन क्षेत्र के तहत लिंगवार नामांकन

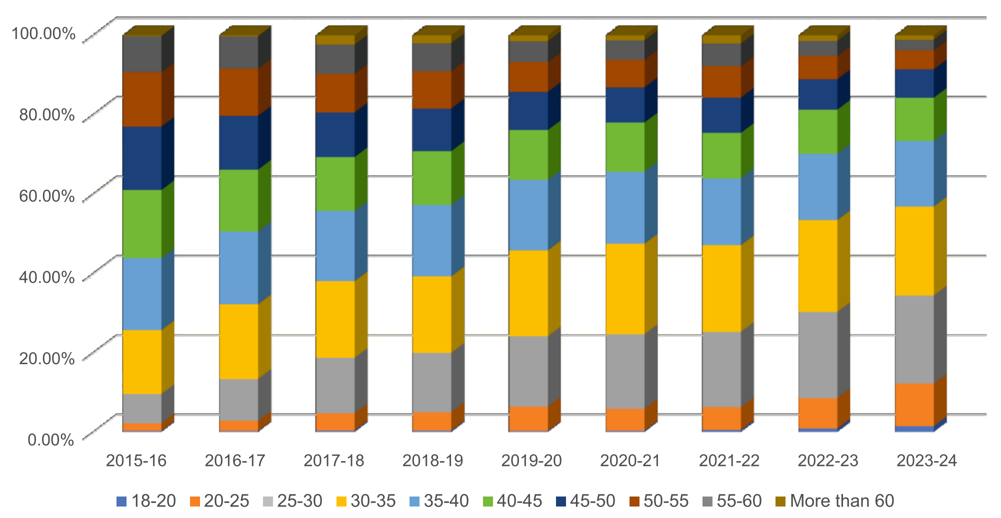

एपीवाई के तहत आयुवार* नामांकन

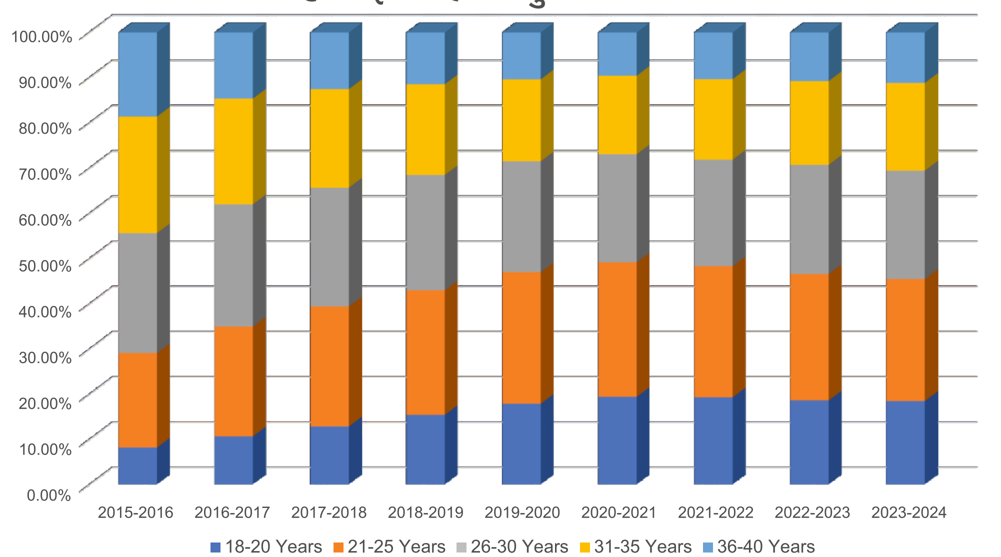

* अकाउंट खोलते समय उम्र

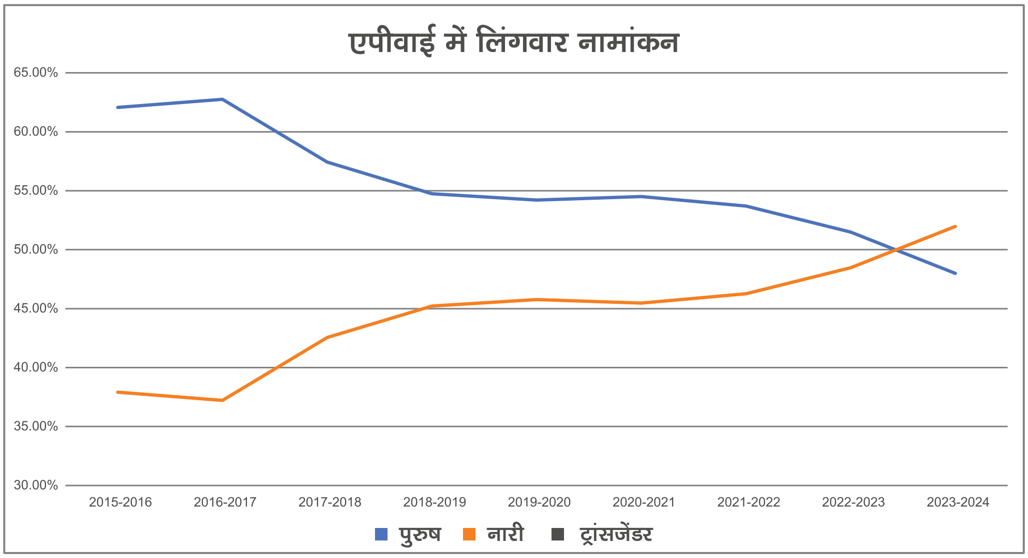
एपीवाई में लिंगवार नामांकन
65.00%
60.00%
55.00%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
पुरुष
नारी
ट्रांसजेंडर

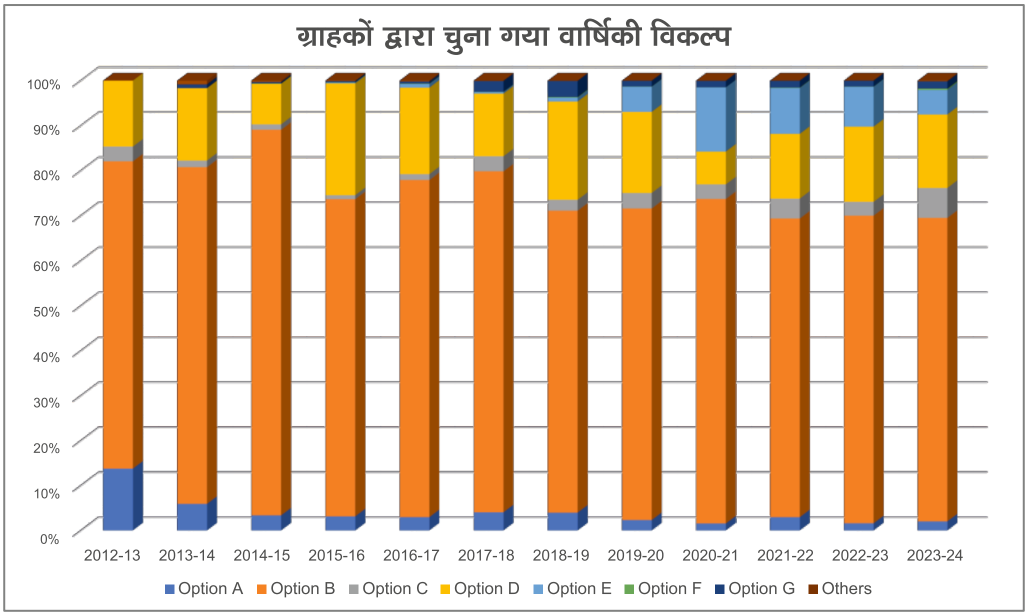
ग्राहकों द्वारा चुना गया वार्षिकी विकल्प
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
Option A
Option B
Option C
Option D
Option E
Option F
Option G
Others

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY